मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2012 से 31.12.2013

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अवधि 1/12 से 12/13 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान मन्दिर न्यास श्री नयना देवी के महत्वपूर्ण पदों पर निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत्त रहे हैः–

(क) उपायुक्त बिलासपुर एवं आयुक्त श्री नयना देवी जी मन्दिर न्यास

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री रितेष चौहान	01.01.12 से 07.01.13
2	डा0 अजय शर्मा	10.01.13 से 31.12.13

(ख) उपमण्डलाधिकारी (ना) बिलासपुर एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री संदीप कदम	01.01.12 से 02.05.12
2	श्री रोहन चन्द ठाकुर	02.05.12 से 16.01.13
3	श्री एम0एल0 मैहता	29.01.13 से 31.12.13

(ग) मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री सुखदेव ठाकुर	01.01.12 से 25.03.13
2	श्री मदन लाल शर्मा	28.03.13 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अंकेक्षण अवधि 1/2012 से 12/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाख में

1	9	मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी द्वारा करवाई गई निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से विभिन्न बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी.डी.एस. की वसूली न करने बारे	2.96
2	10	कम दरों पर राशि निवेशित करने के कारण ब्याज की कम प्राप्ति करने बारे	3.40
3	15	मातृ छाया भवन को किराये पर देने पर ठेकेदार से शेष किराये की वसूली न करने बारे	8.11
4	16	मन्दिर न्यास की दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करने बारे	3.77
5	17	समाचार पत्रों, मैगजीन, स्मारिका, सोविनियर में दिये विज्ञापनों पर अनियमित व्यय करने बारे	2.84
6	18	मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के फलस्वरूप अधिक भुगतान करने बारे	0.56
7	20	मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 के रूप में मूल वेतन की निर्धारित अधिकतम सीमा की राशि के स्थान पर पूरे मूल वेतन पर 12 प्रतिशत की दर से बराबरी का अंशदान करने के फलस्वरूप न्यास निधि से अंशदान की राशि का अधिक भुगतान करना	23.79
8	21	मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को मेला भत्ते/मानदेय के रूप में अनुचित भुगतान करना	7.92
9	22	जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर को ऋण के रूप में भुगतान की गई राशि को वापिस मन्दिर न्यास निधि में जमा न करवाने बारे	1.20
10	23	मन्दिर न्यास द्वारा मेला प्रबन्धन पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को आय में से न घटाने पर पुजारियों को हिस्सेदारी की राशि का अधिक भुगतान करना	49.26

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों/पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन वर्तमान अंकेक्षण के दौरान किया गया। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास के अधिकारियों द्वारा वर्तमान अंकेक्षण अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई पर निदेशक व अतिरिक्त निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के दिनाँक 12.12.2014 के निरीक्षण के दौरान पैरों का स्थल पर निपटारा किये जाने के पश्चात अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अवधि 1/2012 से 12/2013 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं, श्री तारा चन्द महन्त (सहायक नियन्त्रक), श्री चम्बेल सिंह परमार (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनाँक 25.08.14 से 12.13.14 के दौरान श्री नयना देवी जी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/2012, 8/2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/2012, 10/2013 का चयन किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकानों के लेखों की आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/2012, 4/2013 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु व माह 2/2012, 8/2013 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को मन्दिर न्यास के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

मन्दिर न्यास श्री नयना देंवी जी के अवधि 1.1.2012 से 31.12.2013 के लेखाओं के लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(एल0ए0—1—453/92 दिनांक 6.7.2001 तथा नं0 1—459/92—फिन (एल0ए0)—खण्ड—1—6621 दिनाँक 1.11.2014 के अनुसार ₹161100/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु मन्दिर अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 (आडिट) 452 दिनाँक 11.12.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः उपरोक्त राशि को रेखाँकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को भेजी जानी सुनिश्चित की जाये।

4 वितीय स्थितिः—

(क) मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा प्रस्तुत न्यास के अंकेक्षण अवधि 1/2012 से 12/2013 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "B"** पर भी दिया गया है।

वर्ष 2012

1	**1.1.12 को प्रारम्भिक शेष**	**140382364.53**
2	वर्ष के दौरान चढ़त के रूप में प्राप्त आय	173616588.01
3	बचत खातों व सावधि पर प्राप्त ब्याज	9348390.90
4	**कुल योग**	**323347343.44**
5	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	123894875.35
6	**दिनाँक 31.12.12 को अन्तशेष**	**₹199452468.09**

वर्ष 2013

1	**1.1.13 को प्रारम्भिक शेष**	**199452468.09**
2	वर्ष के दौरान चढ़त के रूप में प्राप्त आय	161249999.55
3	बचत खातों व सावधि पर प्राप्त ब्याज	18909302.03
4	**कुल योग**	**379611769.67**
5	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	114654330.21
6	**दिनाँक 31.12.13 को अन्तशेष**	**₹264957439.46**

(ख) दिनाँक 31.12.13 को अन्तशेष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

सावधि जमा में निवेशित राशि	209585305.72
बचत खाते में जमा राशि	54463689.74
हस्तगत राशि	953678.00
योग	**265002673.46**
चैक जारी परन्तु बैंक से भुनाये नहीं गये	(–) 45234.00
दिनाँक 31.12.13 को कुल राशि	264957439.46

(i) सावधि जमा खाते में शेष राशि का विवरण निम्न है:–

क्र0सं0	बैंक का नाम	राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	119596688.00
2	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	62772727.00
3	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक शाखा बिलासपुर	1392528.00
4	भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर	5690721.00
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा आनंदपुर साहिब	13988956.72
6	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर	5341817.00
7	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बिलासपुर	801868.00
	कुल योग	**₹209585305.72**

(ii) बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	31.12.13 को जमा राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	11530527497	5720627.36
2	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	100001	8156700.46
3	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक शाखा बिलासपुर	6168	14185.95
4	भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर	3029377	129442.67
5	पंजाब नैशनल बैंक शाखा बिलासपुर	8899696	1009918.00
6	एच0डी0एफ0सी0 बैंक आनंन्दपुर साहिब	50000129	38227032.30
7	भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर	33306368532	1205783.00
	कुल जमा		**54463689.74**

(iii) हस्तगत राशि का विवरण

1	श्री विरेन्द्र कुमार को जारी राशि	923678.00
2	स्थाई नगदी	30000.00
	योग	**953678.00**

(iv) दिनाँक 31.12.13 तक चैक जारी किये गये परन्तु भुगतान हेतु बैंक से भुनाये नहीं गये है

क्र0सं0	**दिनाँक**	**चैक नं0**	**राशि**
1	16.9.13	259953	8237
2	30.12.13	374827	27884
3	31.12.13	864606	6975
4	31.12.13	864608	2138
		कुल योग	**₹45234**

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास द्वारा संचालित दुकान की अवधि 1/2012 से 12/2013 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

वर्ष 2012

1	**1.1.12 को प्रारम्भिक भोष**	**1206263.42**
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	13202980.00
3	वर्ष में प्राप्त ब्याज	180497.00
4	नीलामी से प्राप्त आय	31700.00
5	**कुल जमा राशि**	**14621440.42**
6	वर्ष के दौरान किया गया व्यय राशि	14167883.00
7	**अन्तशेष राशि**	**453557.42**

वर्ष 2013

1	**1.1.13 को प्रारम्भिक शेष**	**453557.42**
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	12227396.00
3	वर्ष में प्राप्त ब्याज	107717.00
4	नीलामी से प्राप्त आय	30390.00
5	**कुल जमा राशि**	**12819060.42**
6	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	12758975.00
	31.12.2013 को अन्तशेष राशि	**60085.42**

दिनाँक 31.12.2013 को मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की राशि के अन्तशेष विवरण निम्न प्रकार से है:–

1	बचत खाता संख्या 620 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक में जमा राशि	1457.55
2	भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 11530527588 में जमा राशि	18327.87
3	हस्तगत राशि	40300.00
4	**कुल जमा राशि**	**60085.42**

(घ) अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की आय से निम्न राशियाँ सावधि जमा राशि योजना में निवेशित की गई थी जोकि दिनाँक 31.12.2013 से पूर्व ही परिपक्वता पर भुना ली गई। इस प्रकार दिनाँक 31.12.2013 को सावधि में जमा राशि का शेष शून्य रहा।

क्र0 सं0	एफ0डी0आर0 नं0	निवेशित दिनाँक	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	परिपक्वता दिनाँक
1	846153	11.4.13	400000	260 दिन	7.50%	421370	27.12.13
2	946333	27.6.13	800000	183 दिन	7.50%	830082	27.12.13
3	946605	8.11.13	800000	48 दिन	6.75%	807101	26.12.13
	योग		**2000000**			**2058553**	

5 सोनाः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2012 व वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त सोने की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

	किवन्टल	किलो	ग्राम	मि0ग्रा0
प्रारम्भिक शेष (दिनांक 01.01.2012)	1	35	399	948
वर्ष 2012 में प्राप्त मात्रा	0	5	483	510
वर्ष 2013 में प्राप्त मात्रा	0	5	701	300
योग	**1**	**46**	**584**	**758**

दिनांक 31.12.2013 को सोने की शेष मात्रा का विवरणः–

पूजा अर्चना के लिए सोने की मात्रा	0	17	437	527
सीलड गाठो में	0	52	807	147
गोल्ड ब्रांड योजना में निवेशित	0	54	101	910
ईन्टो के रूप में	0	22	238	174
योग	**1**	**46**	**584**	**758**

(ख) मुख्या गल्ला रजिस्टर के अनुसार दिनाँक 17.05.13 को एक ग्राम सौ मिली ग्राम सोना प्राप्त हुआ था, लेकिन सोना प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्टि करते समय एक ग्राम सोना ही प्राप्त किया गया दर्शाया गया था तथा 100 मिली ग्राम सोना कम प्राप्त किया गया दर्शाया गया था। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर दिनाँक 15.9.2014 को सोना स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 67 पर 100 मिली ग्राम सोने की प्राप्ति की प्रविष्टि कर दी गई जिसकी पुष्टि कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृति न हो इसके लिए आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) गोल्ड ब्रॉंड योजना में निवेशित सोने पर प्रमाण पत्र संख्या 00628B005437 तथा प्रमाण पत्र संख्या 00628B005493 पर वर्ष 2013—14 के लिए ब्याज की प्राप्ति न होनाः—

गोल्ड ब्रॉंड योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रमाण पत्रों के अनुसार निवेशित मात्रा पर वर्ष 2011—12, 2012—13 व 2013—14 के दौरान निम्नविवरणानुसार ब्याज प्राप्त हुआ था।

क्र0 सं0	प्रमाण पत्र सं0	निवेशित मात्रा			निवेश की तिथि	ब्याज प्राप्ति का विवरण		
		कि0	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**		**2011—12**	**2012—13**	**2013—14**
1	00628B005437	21	892	050	16.03.09	805867	842995	—
2	00628B005438	18	710	000	31.10.09	701741	734162	681408
3	00628B005493	13	499	860	06.11.09	516066	539000	—
	योग	**54**	**101**	**910**		**2023674**	**2116157**	**681408**

उपरोक्त विवरणानुसार प्रमाण पत्र संख्या 00628B005437 व प्रमाण पत्र संख्या 00628B5493 के अन्तर्गत गोल्ड ब्रॉंड योजना में निवेशित सोने पर वर्ष 2013—14 में ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी प्राप्ति बारे मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर वर्ष 2013—14 में प्राप्ति योग्य ब्याज प्राप्त करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

6 चांदीः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2012 व वर्ष 2013 के दौरान प्राप्त चाँदी की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से थाः—

	क्विंटल	**किलो**	**ग्राम**	**मि0ग्राम0**
प्रारम्भिक शेष (दिनांक 01.01.2012)	49	23	553	589
वर्ष 2012 में प्राप्त मात्रा	3	29	858	770
वर्ष 2013 में प्राप्त मात्रा	2	94	419	960
योग	**55**	**47**	**832**	**319**

दिनांक 31.12.2013 को चांदी की भोष मात्रा का विवरणः—

पूजा अर्चना के लिए चांदी	3	99	189	190
सीलड गांठों में	38	66	418	780
ईन्टों के रूप में	12	82	224	349
योग	**55**	**47**	**832**	**319**

(ख) मुख्या गल्ला रजिस्टर के पृष्ठ 318 पर दिनाँक 24.07.2013 को 546 ग्राम 300 मिली ग्राम चाँदी प्राप्त हुई थी, लेकिन चाँदी के स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्टि करते समय पृष्ठ 153 पर 546 ग्राम चाँदी की प्राप्ति दर्शाई गई थी तथा इस प्रकार 300 मिली ग्राम चाँदी कम प्राप्त दर्शाई गई थी। लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर दिनाँक 15.9.2014 को स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 167 पर 300 मिली ग्राम चाँदी की प्राप्ति की प्रविष्टि कर दी गई जिसकी पुष्टि लेखा

परीक्षा के दौरान कर ली गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 विदेशी मुद्राः–

मन्दिर न्यास द्वारा दान स्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मुख्य गल्ला में प्राप्त विदेशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई। अतः मुख्य गल्ला रजिस्टर के अनुसार प्राप्त विदेशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा रजिस्टर में प्रविष्टि न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा विदेशी मुद्रा के मूल्य के बराबर राशि चूककर्ता से वसूली करके अपेक्षित राशि मन्दिर न्यास निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	विदेशी मुद्रा पृ0सं0	प्राप्ति की तिथि	देश का नाम	प्राप्त विदेशी मुद्रा	जमा विदेशी मुद्रा	कम जमा विदेशी मुद्रा
1	332	7.8.13	सिंगापुर गलेशिया	2 डालर 1 आरएम	2 डालर	1 आरएम
2	333	8.8.13	साऊदी अरब	1 रियाल	–	1 रियाल

8 फटे पुराने नोटों को निर्धारित कमीशन से कम पर बदलने के कारण ₹27745/– की हानिः–

कण्डम नोट रजिस्टर के अनुसार दिनाँक 6.7.2012 से 22.08.2013 के दौरान पृष्ठ 76 से 86 पर ₹99234/– के कण्डम नोट प्राप्त हुये थे। कण्डम नोटों को समय–समय पर 6 प्रतिशत कमीशन पर बैंक को दिया गया तथा कमीशन काटने के उपरान्त निम्न विवरणानुसार ₹67535/– प्राप्त हुई थी।

कम सं0	कण्डम नोट	बैंक द्वारा काटा गया कमीशन	प्राप्त राशि
(i)	67590	4055	65535
(ii)	31644	29644	2000
(iii)	99234	33699	67535

उपरोक्त विवरणानुसार कम संख्या (i) के ₹67590/– पर 6 प्रतिशत कमीशन के पश्चात ₹65535/– प्राप्त हुये थे तथा कम संख्या (ii) के ₹31644/– पर मात्र ₹2000 ही प्राप्त हुये थे। यदि इन नोटों को भी 6 प्रतिशत कमीशन पर बैंक को दिया होता तो इन पर ₹1899 (31644X6%) कमीशन के पश्चात ₹29745 प्राप्त होनी अपेक्षित थी। अतः कम संख्या (ii) के कण्डम नोटों को 6 प्रतिशत कमीशन पर काटने हेतु ऐजेन्ट को न देने पर

₹27745/– (₹29745–₹2000) की हानि हुई है, जिसके बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये। इसके अतिरिक्त प्राप्त कण्डम नोटों को लगभग एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात ऐजेन्ट को दिया गया था। अतः भविष्य में इतनी लम्बी अवधि तक कण्डम नोट मन्दिर ट्रस्ट में न रखते हुये उन्हें समय–समय पर एजेन्ट को देकर अपेक्षित राशि प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

9 मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी द्वारा करवाई गई निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से विभिन्न बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटे गये टी.डी.एस. की ₹296437/– की वसूली न करने बारेः–

अंकेक्षण में जाँच के दौरान यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नानुसार विभिन्न बैंकों में राशियाँ निवेशित की गई थी तथा निवेशित राशियों की परिपक्वता की तिथि पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा टी0डी0एस0 काटा गया। न्यास द्वारा सम्बन्धित वर्ष की आयकर रिटर्न भरने के पश्चात भी अवधि 2013 तक कुल काटे गये कुल टी0डी0एस0 में से बैंक द्वारा अपने स्त्तर पर काटे गये टी.डी.एस. की राशि को वापिस प्राप्त नहीं किया गया है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि न्यास द्वारा सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क करते हुये स्त्रोत पर काटे गये निम्नानुसार टी.डी.एस. की राशि की वापिसी हेतु समुचित कदम उठाये।

क्र0 सं0	दिनाँक	एफ0डी0आर0 सं0	देय परिपक्वता की राशि	प्राप्त राशि	स्त्रोत पर काटे गये कर की राशि	बैंक का नाम
1	20.07.13	002070	2200133	2179618	20515	एच0डी0एफ0 सी0 आनन्दपुर
2	14.07.12	14274030	5459656	5412284	47373	–यथोपरि–
3	30.07.13	0021149	5953913	5897788	56125	–यथोपरि–
4	08.12.12	1427447000	5501094	5449318	51776	–यथोपरि–
5	25.12.13	1292	5964711	5911550	53160	–यथोपरि–
6	18.02.13	740836	1109042	1104454	4588	पी0एन0बी0 बिलासपुर
7	26.01.12	571347	1195643	1179687	15956	एस0बी0आई0 बिलासपुर
8	26.10.13	8057583094	483202	1277172	6030	–यथोपरि–
9	28.09.12	30807395745	1138480	1133444	5036	–यथोपरि–
10	28.09.13	30807395745	1232901	1227901	5000	–यथोपरि–
11	15.11.13	32040493068	3189656	3185648	4008	–यथोपरि–
12	06.08.13	65146339829	806918	801868	5050	एस0बी0पी0 बिलासपुर

13	15.07.12	65009254942	758221	736401	21820	–यथोपरि–
				योग	**₹296437**	

10 कम दरों पर राशि निवेशित करने के कारण ₹3.40 के लाख ब्याज की कम प्राप्ति करने बारेः–

जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत राशियों को विभिन्न बैंकों में निवेश किया गया है जिन पर बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा अलग–2 दर से ब्याज दिया गया है जिस कारण मन्दिर न्यास को सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों पर ब्याज की ₹340971/– कम प्राप्ति हुई है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "C"** में दिया गया है। अतः सावधि योजना के अन्तर्गत कम प्राप्ति की गई राशि के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में न्यास स्त्तर पर विस्तृत जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा ब्याज की हानि के बारे में मामला सम्बन्धित बैकों की शाखाओं में उठाया जाए तथा भविष्य में सावधि जमा योजना में राशियों को उन्हीं बैंकों में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिनके द्वारा अधिकतम दर से ब्याज दिया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 रेजगारी की गणना ₹1006/– का कम दर्शाया जानाः–

(क) मुख्य गल्ला रजिस्टर के अनुसार दिनाँक 23.7.2012 को पृष्ठ संख्या 329 पर रेजगारी की गणना करने पर ₹16035/– प्राप्त हुये थे लेकिन गणना में गलती के कारण ₹15035/– की प्राप्ति दर्शाई गई थी तथा डे बुक में भी ₹15035/– ही जमा किये गई थी इस प्रकार ₹1000/– की कम प्राप्ति दर्शाकर यह राशि कम जमा की गई थी। अतः कम जमा राशि की चूककर्ता से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाए।

रेजगारी की गणना का विवरण

सिक्के	मात्रा	राशि
5	775	3875
2	2380	4760
1	7400	7400
	जोड़	**16035**
	दर्शाया गया जोड़	15035
	कम जमा राशि	1000

(ख) इसी प्रकार गुफा गल्ला रजिस्टर के अनुसार दिनाँक 12.8.2013 को ₹8828/– के नोट व ₹1690/– की रेजगारी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार कुल (₹8828+₹1690) ₹10518/– प्राप्त हुई थी जबकि डे बुक में उपरोक्त प्राप्ति के विरूद्ध ₹10512/– ही जमा की गई थी। इस प्रकार ₹6 कम जमा किये गई थी जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 मन्दिर न्यास द्वारा दान के रूप में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं (सामग्री) को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः–

चयनित मासों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि में मन्दिर न्यास द्वारा रसीदों के अन्तर्गत दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं में से निम्नविवरणानुसार कुछ मदो ंको स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जो कि अनियमित है। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जाँच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा दर्ज न की गई विभिन्न मदो ंकी बाजारी दरों के आधार पर चूककर्ता से वसूली करके अपेक्षित राशि न्यास निधि में जमा की जाए। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों में इस तरह के प्रकरणों की जाँच न्यास द्वारा अपने स्तर पर करके तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

रसीद संख्या	दिनाँक/माह	सामग्री का विवरण	मात्रा
956	7/2012	फोम गददे	20 नं0
957	7/2012	फोम गददे	10 नं0
959	7/2012	फोम गददे	20 नं0
4134	27.6.12	जीरा कम्बल	100 नं0 2 कि0ग्रा0
4363	12.6.12	वाटर कूलर आर0ओ0 सहित 80 लीटर	1 नं0
1062	6.7.12	मैट हरा	360 फुट
4723	16.7.12	मैट जाली वाला	100 फुट
4796	4.8.12	कम्बल	2 नं0
4798	5.8.12	रवेसी	1 नं0
1783	4.8.13	टाट पट्टी	725 फुट
2702	15.5.13	मैट	500 वर्ग फुट
2703	17.5.13	मैट	500 वर्ग फुट

13 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित धर्मशाला में यात्रियों के आरक्षित कमरों के लिए प्रवेश शुल्क (Entry Fees) की ₹740/– की कम वसूली करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित धर्मशाला के कमरो ंसे प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार धर्मशाला में यात्रियों से आरक्षित कमरो ंके लिए प्रवेश शुल्क की ₹10 प्रति व्यक्ति की दर से ₹740/– की कम वसूली की गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर उक्त ₹740/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/चूककर्ताओं से रसीद संख्या 1012 दिनाँक 09.12.14 के अन्तर्गत कर ली गई है तथा जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

क्र0सं0	दिनाँक	धर्मशाला रजिस्टर पेज नं0	यात्रियों की संख्या	यात्रियों से वसूली गई राशि	वास्तव में राशि जिसकी वसूली की जानी थी	कम वसूली गई राशि
1	5.7.12	27 से 28	21	200	21x10=210	10
2	16.7.12	65 से 69	42	400	42x10=420	20
3	19.7.12	75 से 78	42	410	42x10=420	10
4	9.8.12	175 से 178	37	350	37x10=370	20
5	17.8.12	13 से 15	32	310	32x10=320	10
6	3.9.12	58 से 59	18	170	18x10=180	10
7	4.9.12	59 से 60	20	–	20x10=200	200
8	10.9.12	71 से 72	11	100	11x10=110	10
9	15.10.12	125 से 129	48	470	48x10=480	10
10	22.10.12	162 से 168	91	900	91x10=910	10
11	4.11.12	12 से 13	3	20	3x10=30	10
12	25.12.12	25 से 26	10	70	10x10=100	30
13	13.1.13	45	7	60	10x7=70	10
14	22.1.13	49 से 50	6	50	6x10=60	10
15	24.1.13	50 से 51	3	20	3x10=30	10
16	27.1.13	54	6	50	6x10=60	10
17	21.2.13	66	8	70	8x10=80	10
18	2.6.13	90 से 92	22	200	22x10=220	20
19	12.8.13	112 से 118	73	540	73x10=730	190
20	14.8.13	126 से 132	63	520	63x10=630	110
21	12.9.13	30 से 31	13	120	13x10=130	10
22	10.12.13	18	5	40	5x10=50	10
					कुल योग	**₹740**

14. रसीद बुकों के उपयोग में अनियमितताऐं:–

(क) लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित रसीद बुकें आधी अधूरी ही उपयोग की गई थी तथा शेष बची रसीद बुकें बिना उपयोग के ही कार्यालय में पड़ी है। अतः इन रसीद बुकों को पूर्ण रूप से उपयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बिना उपयोग के पड़ी रसीदों को अब उपयोग में लाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रसीद क्रमाँक जो उपयोग की गई	माह जिसमें उपयोग की गई	उपयोग हेतु भोष बची रसीदों का विवरण
1	8101 से 8108	8/13	8109 से 8200
2	8901 से 8981	8/13	8982 से 9000
3	8701 से 8764	7/13	8765 से 8800
4	2701 से 2783	7/13	2784 से 2800
5	8301 से 8395	8/13	8396 से 8400

(ख) रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार निम्न वर्णित रसीदें अनाज मण्डी खन्ना व अनाज मण्डी धमोट पंजाब के ट्रस्टियों को जारी की गई थी। रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर के अनुसार इन रसीदो ंके माध्यम से प्राप्ति योग्य ₹15000/– को मन्दिर न्यास में जमा नहीं करवाया गया था और न ही प्राप्ति योग्य राशियों के जमा होने की पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान करवाई गई। अतः इन रसीदों के माध्यम से प्राप्ति योग्य ₹15000/– के जमा होने की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	रसीद बुक का विवरण	जिसे जारी की गई	जारी करने की तिथि	प्रति रसीद प्राप्ति योग्य राशि	कुल प्राप्ति योग्य राशि
1	7501 से 7600	श्री ओम प्रकाश सिगला ट्रस्टी अनाज मण्डी खन्ना	21.6.13	50	5000
2	7601 से 7700	–यथोपरि–	21.6.13	50	5000
3	9301 से 9400	श्री बलदेव कृष्ण ट्रस्टी अनाज मण्डी धमोट	14.7.13	50	5000
				योग	**₹15000**

(ग) रसीद संख्या 1201 से 1300, जिसका मूल्य ₹20 प्रति रसीद का था, लंगर काउंटर को जारी की गई थी। रसीद संख्या 1201 से 1283 दिनाँक 27.8.2012 तक उपयोग कर ली गई थी तथा इन रसीदों द्वारा प्राप्त राशि के जमा होने की पुष्टि भी लेखा परीक्षा के दौरान कर ली गई परन्तु रसीद संख्या 1284 से 1300 द्वारा प्राप्त ₹340/– के जमा करने की पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान नहीं करवाई गई। अतः इस राशि के जमा करने की पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरणानुसार राशन तथा अन्य सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीद बुकें/आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके फलस्वरूप यह जाँच नहीं की जा सकी कि किस रसीद द्वारा कितनी सामग्री प्राप्त की गई थी तथा प्राप्त सामग्री के विरूद्ध स्टॉक रजिस्टर में सही प्राप्ति दर्शाई भी गई है अथवा नहीं? अतः इन रसीद बुकों को आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रसीद क्रमाँक	जिस माह में उपयोग की गई
1	3001 से 3100	7/12
2	118301 से 118400	7/12
3	3301 से 3400	7/12
4	4801 से 4900	7/12
5	01 से 100	8/13
6	1101 से 1200	8/13
7	501 से 600	7/13

(ङ.) लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्न मामलों में मन्दिर न्यास द्वारा बेची गई सामग्री एवं विभिन्न डिनोमिनेशन के कूपनों/रसीदों से प्राप्त राशियों को जमा नहीं किया गया था। अतः प्राप्त राशियों को जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त कम प्राप्त की गई ₹250/– की चूककर्ता से वसूली करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रसीद संख्या	दिनाँक	सामग्री का विवरण	प्राप्त राशि
1	4783	30.7.12	दीवार घड़ी	80
2	53056	4.8.13	रसीद कूपन ₹20 प्रति रसीद	20
3	9057	18.8.13	रसीद कूपन ₹50 प्रति	50
4	14192	13.10.13	रसीद कूपन ₹100 प्रति	100
			योग	**₹250**

15 मातृ छाया भवन को किराये पर देने पर ठेकेदार से शेष किराये का ₹811200/– की वसूली न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी द्वारा न्यास के मातृछाया भवन को दिनाँक 18.4.2007 को शीषपाल सुपुत्र श्री रोशन लाल गाँव भण्डारण तहसील नैना देवी की साथ लीज के आधार (20.4.2007 से 19.4.2010 तक तीन वर्षों के लिए ₹13520/– पर किराये पर दिया गया। न्यास द्वारा ठेकेदार से उक्त ₹1352000/– की वसूली कुल छः किश्तों में ₹225334/– प्रति किश्त की दर से कर ली गई। तत्पश्चात न्यास द्वारा द्वितीय चरण में उपरोक्त भवन को पूर्व निर्धारित किराये पर 20 प्रतिशत बढ़ौतरी करके आगामी दो वर्षों के दिनाँक 20.4.2010 से 19.4.2012 तक इसी ठेकेदार को किराये पर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त ठेकेदार से निम्न विवरणानुसार बढ़ाई गई कुल ₹1081600/– की दो वर्षों में वसूली की जानी अपेक्षित थी।

1352000x2/3	901333
+20% enhancement on above amount	
901333x20/100	180267
Total amount for two year w.e.f 20.4.10 to 19.4.12 including 20%	
₹901333+₹180267=	₹1081600

उपरोक्त किराये की देय ₹1081600/– में से ₹270401/– की वसूली रसीद संख्या 589540 दिनाँक 28.6.2010 के अन्तर्गत कर ली गई है तथा शेष ₹811200/– की वसूली अभी तक सम्बन्धित ठेकेदार से नहीं की गई है जिसकी वसूली अतिशीघ्र करके न्यास निधि में जमा की जाना करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 मन्दिर न्यास की दुकानों के किराये की बकाया ₹3.77 लाख की वसूली न करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मन्दिर न्यास दुकानों के किराये की बकाया ₹377250/– की वसूली नहीं की है। दुकानों के किराये से सम्बन्धित इकरारनामों की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा किराये से सम्बन्धित नियमों व शर्तों में दुकानदारों द्वारा किराया अदा न करने पर जुर्माना/सरचार्ज अदा करने का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दुकान नं0 1, 2, 4, 9 व 10 (5 दुकानों) की नीलामी दिनाँक 31.12.2013 तक मन्दिर न्यास द्वारा नहीं की गई जिससे मन्दिर की आय

में कमी आई है। अतः न्यास द्वारा दुकानों के किराये की बकाया राशि न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा खाली पड़ी दुकानों की नीलामी सम्बन्धित प्रक्रिया तुरन्त करते हुये किराये की बकाया राशि की वसूली सम्बन्धित दुकानदारों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

क्र0सं0	**दुकानदार का नाम**	**दुकान नं0**	**किराया प्रति किस्त**	**दिनाँक 31.12.13 तक किराया बकाया राशि**
(I) मातृ भांख भवन के सामने निर्मित दुकानें				
1	श्री ब्रजेश शर्मा	5	40000	15000
2	श्री सतपाल शर्मा	7	40000	15000
3	श्री शेष पाल	8	60000	22500
			योग	**52500**
(II) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान नं0 1 की धरातल मंजिल में निर्मित दुकानें				
1	श्री गोपाल चन्द	1	81000	40500
2	श्री श्याम किशोर शर्मा	2, 3	284250	284250
			योग	**324750**
		कुल योग (दिनाँक 31.12.13 तक)		**377250**
(III) दुकानें जो 31.12.13 तक नीलाम नहीं की गई				**दुकान नं0 1, 2, 4, 9 व 10 (5 नं0 दुकानें)**

17 समाचार पत्रों, मैगजीन, स्मारिका, सोविनियर में दिये विज्ञापनों पर ₹2.84 लाख का अनियमित व्यय करने बारेः—

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "डी"** में दिए गए विवरणानुसार समाचार पत्रों, मैगजीनों, स्मारिकाओं तथा सोविनियरों में दिये गये विज्ञापनों पर ₹284904/— का व्यय किया गया, जबकि प्रधान सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग (हिमाचल प्रदेश) के पत्र संख्या LCD-E(3)-18/2010 दिनाँक 10.12.2010 के अनुसार विज्ञापनो ंपर व्यय करने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त व्यय हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 17 के भी विपरीत है क्योंकि उक्त धारा के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा दान की राशि को श्रद्धालुओं की सुविधाओ ंके लिए ही व्यय करना अपेक्षित होता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उक्त अनियमित व्यय को सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में विज्ञापन पर व्यय करने पर अंकुश लगाकर राशि का प्रयोग मन्दिर के विकासात्मक कार्यों पर करना सुनिश्चित किया जाए।

18 मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के फलस्वरूप ₹56272/– का अधिक भुगतान करने बारेः–

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7) 1/2012 दिनाँक 28.02.2012 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों का माह 1.3.2012 से संशोधित मकान किराया भत्ता प्रदान किया गया है। उपरोक्त ज्ञापन में जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता का भुगतान बैन्ड पे में ग्रेड वेतन शामिल न करके निर्धारित स्लेब (Slab) के आधार पर प्रदान किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसके विपरीत मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को बैन्ड पे में ग्रेड पे शामिल करके मकान किराये भत्ते का भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "E"** में दिया गया है। उक्त मामला सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या सं0नि. आडिट एल0ए0डी0 (वित्त)–430 दिनाँक 14.10.14 द्वारा मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी के समक्ष लाया गया है तथा न्यास द्वारा इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त ₹56272/– में से न्यास द्वारा ₹53811/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के माह 10/14 के वेतन से जोकि माह 1/14 में देय है से कर ली गई है जिसकी पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है तथा निम्नानुसार ₹2461/– की वसूली करनी शेष है जिसकी भी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1	श्री प्रीतम सिंह अधीक्षक	200
2	श्री राम पाल–1 एम0पी0डब्लयू	811
3	श्री रोशन लाल चपड़ासी	1450

19 कन्ट्रेक्च्यूल (contractual) कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान करना :–

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन (सी)–बी (7)–5/2009 दिनाँक 22.11.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों के विपरीत मन्दिर न्यास में ठेके पर रखे गये कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में गलत तरीके से ₹1854/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा गलत तरीके से किए अधिक भुगतान राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वेतन	देय वार्षिक वेतन	भुगतान की गई वार्षिक वेतन वृद्धि	अन्तर	अवधि	अधिक भुगतान की

				वृद्धि	की राशि			राशि
1	श्री सुनील कुमार –यथो–	रूम अटेडेन्ट –यथो–	4900+1300	186 186	190 200	4 14	1.9.11 से 31.8.12 1.9.12 से 31.3.13	48 98 146
2	श्री बसन्त कुमार	लांगरी	–	–	–	–	–	146
3	श्री दीपक	सफाई कर्मचारी	–यथोपरि–	–	–	–	–	146
4	श्री गुरमान सिंह	एमपी डब्लयू	–यथोपरि–	–	–	–	–	146
5	श्री अमित कुमार	लांगरी	–यथोपरि–	–	–	–	–	146
6	श्री अमित कुमार	चौकीदार	–यथोपरि–	–	–	–	–	146
7	श्री अतुल शर्मा	चौकीदार	–यथोपरि–	–	–	–	–	146
8	श्री धर्मपाल	एमपी डब्लयू	–यथोपरि–	186	190	4	1.12.11 से 30.11.12	48
9	श्री नीतीन कुमार	एमपी डब्लयू	–यथोपरि–	186	200	14	1.12.12 से 30.11.13	168
10	श्री नीतीन कुमार	एमपी डब्लयू	–यथोपरि–	186	198	9	1.12.13 से 8/14	108 324
11	श्री राज कुमार	एमपी डब्लयू	–यथोपरि–	–	198	–	–	324
12	श्री सुनील कुमार	क्लर्क	5910+1900	234	240	6	1.9.11 से 31.8.12	72
13	श्री सुनील कुमार	–यथोपरि–	–	234	250	16	1.9.12 से 31.3.13	112
						कुल जोड़		**₹1854**

20 मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 के रूप में मूल वेतन की निर्धारित अधिकतम सीमा की ₹6500/– के स्थान पर पूरे मूल वेतन पर 12 प्रतिशत की दर से बराबरी का अंशदान करने के फलस्वरूप न्यास निधि से अंशदान की ₹2379160/– का अधिक भुगतान करनाः–

कर्मचारी भविष्य निधि व अन्य मिसलिनियस (Miscellanous Prevision) प्रोविजन अधिनियम 1952 में विनिर्दिष्टत निर्देशों के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा अपने मूल वेतन पर अधिकतम निर्धारित सीमा की ₹6500/– पर 12 प्रतिशत अर्थात ₹780/– प्रतिमाह की दर से पैन्शन फन्ड में जमा करने का प्रावधान है तथा इतनी ही राशि न्योक्ता (Employee) द्वारा भी कर्मचारियों के पैन्शन फन्ड में जमा की जानी अपेक्षित है। उपरोक्त दिशा निर्देशों के विपरीत

मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि वर्ष 2012–2013 में कर्मचारियों के मूल वेतन की निर्धारित अधिकतम सीमा की ₹6500/– के स्थान पर उनके पूरे मूल वेतन की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से प्रत्येक कर्मचारी को भविष्य निधि में बराबरी का अंशदान किया गया है जिसके फलस्वरूप न्यास द्वारा ₹2379160/– का अधिक भुगतान किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "F"** में दिया गया है। उपरोक्त मामला सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट–448 (कैम्प) दिनाँक 26.11.2014 द्वारा न्यास अधिकारियों के समक्ष लाया गया है परन्तु उनके द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः अधिक भुगतान की गई अंशदान की राशि का नियमों के अन्तर्गत औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करते हुये न्यास द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा राशि से अधिक भुगतान की गई अंशदान की राशि की वसूली करके न्यास निधि में जमा की जाए।

21 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को मेला भत्ते/मानदेय के रूप में ₹792880/– का अनुचित भुगतान करनाः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा कर्मचारियों को नव वर्ष मेला, चैत्र नवरात्रा मेला, श्रावण नवरात्रा मेला व अशिवन नवरात्रा मेला के उपलक्ष में निम्न विवरणानुसार वर्ष 2012 व वर्ष 2013 के दौरान ₹792880/– का मेला भत्ते/मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था, जोकि उप–सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या ए0सी0डी0–बी 2–9/94–1 दिनाँक 21.12.2010 के अनुसार उन्हें देय नहीं था। अतः वर्ष 2012 व वर्ष 2013 के दौरान भुगतान की गई कुल ₹792880/– की न्यास द्वारा अपने स्तर पर भी गणना करके इसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

बिल संख्या	**दिनाँक**	**मेले का विवरण**	**मेला भत्ते की भुगतान की गई राशि**
141	28.2.12	नव वर्ष मेला	59390
392	29.5.12	चैत्र नवरात्रा मेला	77542
393	29.5.12	चैत्र नवरात्रा मेला	5100
446	19.6.12	चैत्र नवरात्रा मेला	600
643	1.9.12	श्रावण नवरात्रा मेला	138375
958	26.12.12	अशिवन नवरात्रा मेला	68210
962	26.12.12	अशिवन नवरात्रा मेला	3100
73	29.1.13	नव वर्ष मेला	57790
395	15.5.13	चैत्र नवरात्रा मेला	70863
400	16.5.13	चैत्र नवरात्रा मेला	4500
623	22.8.13	श्रावण नवरात्रा मेला	189050

624	23.8.13	श्रावण नवरात्रा मेला	5500
824	25.10.13	अशिवन नवरात्रा मेला	112860
		योग	**₹792880**

22 जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर को ऋण के रूप में भुगतान की गई ₹120405/– को वापिस मन्दिर न्यास निधि में जमा न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा कार्यालय पत्र संख्या बी0एल0एस0–एल0टी0जी0–1 (2)/89–5796 दिनाँक 27.12.11 द्वारा ₹120405/– (एक लाख बीस हजार चार सौ पाँच रूपये) ऋण के रूप जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर को स्वीकृत की गई। उपरोक्त ऋण की राशि का भुगतान मन्दिर द्वारा चैक संख्या 205157 दिनाँक 27.12.11 के अन्तर्गत जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर को किया गया है। उक्त ऋण की ₹120405/– अभी तक मन्दिर न्यास निधि में वापिस जमा नहीं की गई है। उपरोक्त भुगतान की गई ऋण की राशि की वापिसी हेतु मामला सहायक नियन्त्रक, (ले0प0) कैम्प नैना देवी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या ए0सी0 आडिट (फिन) एल0ए0डी0–419 दिनाँक 3.9.14 द्वारा मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री नैना देवी के ध्यानार्थ लाया गया तथा मन्दिर अधिकारी की नैना देवी द्वारा उपरोक्त प्रकरण में ऋण की राशि की वापिसी हेतु जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर से अपने कार्यालय पत्र संख्या टी0टी0एन0डी0–3249 दिनाँक 9.9.2014 द्वारा उठाया गया। जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर द्वारा अपने कार्यालय पृष्ठांकन संख्या बीएलएस–ईए–बजट/2013–35438 दिनाँक 1.11.2014 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जिलाधीश कार्यालय में कार्यरत्त श्री छोटा राम (सेवा निवृत चालक) को माननीय मोटर एक्सीडैन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल घुमारवीं जिला बिलासपुर द्वारा अभियोग संख्या एम0ए0सी0 39/2006/03 शीर्षक ''श्री महेन्द्र कुमार बनाम छोटा राम'' इत्यादि में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश शिमला के एफ0ए0ओ0 संख्या 498/2011 के आदेशानुसार ₹120405/– याचिकाकर्ता की मुआवजा के रूप में अदा करने के आदेश दिये गये। जिलाधीश कार्यालय द्वारा उक्त मुआवजे की राशि को अदा करने के लिये मन्दिर न्यास निधि से ऋण स्वरूप ली गई थी यद्यपि जिलाधीश कार्यालय बिलासपुर द्वारा श्री छोटा राम (सेवानिवृत चालक) को उक्त मुआवजे की राशि को अतिशीघ्र जमा करवाने को नोटिस जारी किया गया है परन्तु फिर भी मन्दिर न्यास निधि से ऋण के रूप में उक्त राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया जोकि मन्दिर की गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था तथा यह मन्दिर न्यास निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त ऋण की राशि को अविलम्ब वसूली

करके इसे वापिस मन्दिर निधि में जमा करवाये व भविष्य में ऐसे प्रकरणो पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कार्रवाई अमल में लाई जाए।

23 मन्दिर न्यास द्वारा मेला प्रबन्धन पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को आय में से न घटाने पर पुजारियों को हिस्सेदारी की ₹4926526/– का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि न्यास द्वारा प्रथम चार्ज अथवा मुख्या गल्ला की बिक्री, विदेशी मुद्रा व कण्डम नोट द्वारा प्राप्त आय में सें वेतन व्यय पूजा अर्चना व्यय तथा प्रशासनिक व्यय इत्यादि घटाकर शेष राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा पुजारियों को बराबर–2 वितरित किया गया है। वर्ष 2012–13 में न्यास द्वारा उपरोक्त विवरणानुसार प्राप्त आय को मेलों से प्राप्त आय सहित पुजारियों का हिस्सा निर्धारित करने हेतु तो सम्मिलित तो किया गया है परन्तु व्यय पक्ष में मेलों के दौरान मेला प्रबन्धन इत्यादि पर किए गए प्रशासनिक व्यय को सम्मिलित न करके पुजारियों को हिस्सेदारी के रूप में निम्नानुसार अधिक भुगतान करना किया गया है।

		वर्ष 2012	**वर्ष** 2013
1	पुजारियों की हिस्सेदारी हेतु मेलों में प्राप्त आय सहित ली गई राशि	138765882	127015690
2	घटाई गई व्यय की राशि जिसमें मेले के दौरान किया गया प्रशासनिक व्यय शामिल नहीं है	(–) 39291842	(–) 43876387
	शेष राशि	99474040	83139303
3	पुजारियों को शेष राशि के 50 प्रतिशत हिस्से के रूप में हिस्सेदारी की भुगतान की गई राशि	99474040/2	83139303/2
		49737020	**41569651**

उपरोक्त विवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2012 में ₹49737020/– तथा वर्ष 2013 में ₹41569651 का भुगतान पुजारियों की हिस्सेदारी के रूप में किया गया है जबकि 2012 में मेले के प्रबन्धन कर प्रशासनिक व्यय की ₹4730654/– तथा वर्ष 2013 में मेले के प्रबन्धन पर प्रशासनिक व्यय की ₹5122399/– जिसे खाता बही पेज 162 व 154 पर दर्शाया गया है को व्यय को शामिल न करके निम्नानुसार पुजारियों को ₹4926526 राशि का अधिक भुगतान करना पड़ा है।

क्र0सं0		**वर्ष 2012**	**वर्ष 2013**
1	वर्षवार भुगतान योग्य हिस्सेदारी की राशि	99474040	83139303
2	मेले प्रबन्धन का प्रशासनिक व्यय	(–) 4730654	(–) 5122399

	शेष राशि	94743386	78016904
3	पुजारियों को मेले प्रबन्धन का प्रशासनिक व्यय	94743386 / 2	78016904 / 2
	घटाने के उपरान्त भुगतान हेतु शुद्ध देय राशि	**47371693**	**39008452**
(i)	**भुगतान की गई राशि**	**49737020**	**41569651**
	अधिक भुगतान की गई राशि	**2365321**	**2561199**

अतः अधिक भुगतान की गई उपरोक्त ₹2365321+₹2561199=₹4926520 का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे न्यास की निधि में जमा करवाया जाए।

24 पंजाब की विभिन्न अनाज मण्डियों से दान स्वरूप प्राप्त सामग्री की वास्तविक मात्रा से कम मात्रा की प्राप्ति का दर्शाया जानाः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी में कुछ ट्रस्टी पंजाब की मण्डियों से सम्बन्धित है जिन्हें समय–समय पर पंजाब की विभिन्न अनाज मण्डियों से राशन प्राप्त करने हेतु एवं दानस्वरूप राशि प्राप्त करने हेतु रसीद बुकें जारी की जाती है, जिनके माध्यम से प्राप्त सामग्री एवं राशियो ंको यह ट्रस्टी मन्दिर न्यास में जमा करते रहते है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न रसीदो ंद्वारा प्राप्त सामग्री से कम सामग्री की मात्रा मन्दिर न्यास के स्टॉक में जमा की गई थी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा न्यास में कम प्राप्त हुई सामग्री की मात्रा को सम्बन्धित अनाज मण्डी के ट्रस्टियों से प्राप्त करके मन्दिर न्यास स्टॉक में जमा किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। मन्दिर न्यास के स्टॉक में विभिन्न अनाज मण्डियों से कम प्राप्त सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) समराला मण्डी पंजाब से रसीद संख्या 8901 से 8912 द्वारा निम्नविवरणानुसार 2825 किलो ग्राम गन्धम की प्राप्त हुई थी, लेकिन स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 405 पर वर्ष 2013 के दौरान उपरोक्त प्राप्ति के विरूद्ध 2375 कि0ग्रा0 गन्धम की प्राप्ति दर्शाई गई थी तथा इस प्रकार 450 कि0ग्रा0 गेहूँ की कम प्राप्ति दर्शाई गई थी।

रसीद संख्या	**प्राप्ति माह**	**प्राप्त मात्रा (कि0 छात्र)**
8901	8 / 2013	50
8902	8 / 2013	50
8903	8 / 2013	50
8904	8 / 2013	900
8905	8 / 2013	800
8906	8 / 2013	500
8907	8 / 2013	100
8908	8 / 2013	100

8909	8/2013	75
8910	8/2013	50
8911	8/2013	100
8912	8/2013	50
	कुल मात्रा	**2825**

(ख) भटिण्डा मण्डी पंजाब से माह 7/2013 व 8/2013 में दान स्वरूप विभिन्न रसीदों के माध्यम से स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 402 पर दिये गये विवरणानुसार रिफाईंड के 97 टीन प्राप्त हुए थे जिनके विरूद्ध 80 टीन रिफाईंड की मात्रा 1200 किलो (80X15) स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 135 पर प्राप्त दर्शाई गई थी तथा 255 किलो ग्राम (17 टीनX15किलो) रिफाईंन्ड कीम ात्रा कम प्राप्त दर्शाई गई थी।

(ग) अनाज मण्डी भटिण्डा से विभिन्न रसीदों के माध्यम से माह 7/2013 व 8/2013 के दौरान स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 402 पर दिये गये विवरणानुसार 1497 कि0ग्रा0 चीनी प्राप्त हुइ थी, लेकिन स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 241 पर 1366 कि0ग्रा0 चीनी ही प्राप्त दर्शाई गई थी तथा (1497 कि0ग्रा0–1366कि0ग्रा0=131 कि0ग्रा0) चीनी की कम प्राप्ति दर्शाई गई थी।

(घ) समराला मण्डी पंजाब से स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 405 पर दिये गये विवरणानुसार माह 7/2013 व 8/2013 में रसीद संख्या 8918 द्वारा 50 किलो व रसीद संख्या 8979 द्वारा 125 किलो अर्थात कुल 175 किलो साबुत माह प्राप्त हुये थे लेकिन उपरोक्त प्राप्ति के विरूद्ध स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 21 पर दिनाँक 2.8.2013 को 125 कि0ग्प्र0 साबुत माह ही प्राप्त दर्शाये गये थे तथा 50कि0ग्रा0 साबुत माह कम प्राप्त किए गए दर्शाये गये थे।

(ङ) अनाज मण्डी भटिण्डा से रसीद संख्या 8282 द्वारा माह 8/2013 में दो टीन रिफाइन्ड प्राप्त किये थे, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करते समय पृष्ठ 402 पर उपरोक्त रसीद के विरूद्ध 1 टीन रिफाईन्ड ही प्राप्त किया गया दर्शाया गया था तथा एक टीन रिफाईन्ड कम प्राप्त किया गया दर्शाया गया था।

(च) अनाज मण्डी मछवाड़ा पंजाब से विभिन्न रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त सामग्री की स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ के 406 पर दिये गये विवरण के अनुसार दिनाँक 16.7.13 को रसीद संख्या 9007 द्वारा 11 किलो ग्राम मूंग साबुत तथा रसीद संख्या 9015 द्वारा 15 कि0ग्राम मूंग साबुत प्राप्त किए गए दर्शाये गये थे, लेकिन स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 33 पर प्राप्ति की प्रविष्टि करते समय उपरोक्त प्राप्ति के विरूद्ध केवल 11 किलो मूंग साबुत ही प्राप्त किए गए दर्शाये गये थे तथा 15 किलो मूंग साबुत की कम प्राप्त की गई दर्शाई गई थी।

(छ) रसीद संख्या 9004 द्वारा दिनाँक 16.7.2013 को एक किलो चायपती प्राप्त हुई थी। इस चायपती की स्टॉक रजिस्टर में प्राप्ति की प्रविष्टि नहीं की गई थी।

(ज) माछीवाड़ा मण्डी पंजाब से स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 406 पर दिये गये विवरणानुसार 9 टीन रिफाईन्ड प्राप्त हुये थे तथा स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ 137 पर उपरोक्त प्राप्ति के विरूद्ध दिनाँक 16.7.13 को 8 टीन रिफाईन्ड ही प्राप्त किये दर्शाये गये थे तथा एक टीन रिफाईन्ड की कम प्राप्ति दर्शाई गई थी।

(झ) रसीद संख्या 4117 दिनाँक 22.6.2012 द्वारा 70 किलो ग्राम पेठा प्राप्त हुआ था, लेकिन लंगर रजिस्टर के पृष्ठ 376 पर प्राप्ति की प्रविष्टि करते समय उपरोक्त रसीद के विरूद्ध 50 किलो ग्राम पेठा की प्राप्ति ही दर्शाई गई थी। इस प्रकार (70 किलो ग्राम(–) 50किलो ग्राम=20कि0ग्रा0) पेठा कम प्राप्त किया गया दर्शाया गया था।

(ण) स्टॉक रजिस्टर 253 पर दिये गये विवरण के अनुसार 410 कि0ग्रा0 दूध पाउडर प्राप्त हुआ था। इस सामग्री की प्राप्ति की स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 254 पर प्रविष्टि करते समय 400 किलो दूध पाउडर ही प्राप्त किया गया दर्शाया गया था तथा 10 किलो दूध पाउडर कम प्राप्त किया गया दर्शाया गया था।

लेखा परीक्षा के दौरान आपत्ति उठाये जाने पर मन्दिर न्यास द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये कम प्राप्त सामग्री की सम्बन्धित अनाज मण्डियों से निम्न विवरणानुसार वसूली करके स्टॉक में जमा कर दी गई जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान कर ली गई।

उपरोक्त पैरा सं0	प्राप्त सामग्री का विवरण	प्राप्ति की तिथि	प्राप्त मात्रा	स्टॉक रजिस्टर पृ0/वर्ष
1	गन्धम	9.12.14	450किलो	332 (2014)
2	रिफाईन्ड	9.12.14	255 किलो	138 (2014)
3	चीनी	9.12.14	131 किलो	242 (2014)
4	माह साबुत	9.12.14	50 किलो	25 (2014)
6	मूंग साबुत	9.12.14	15 किलो	37 (2014)

अतः शेष बची सामग्री की भी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

25 सब्जी की खरीद हेतु भुगतान की गई दरों में पारदर्शिता लाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नानुसार सब्जी की खरीद हेतु ₹17100/– का भुगतान किया गया।

क्रमाँक	फर्म का नाम	बिल सं0	विवरण	दर	राशि
1	मै0 ज्ञान चन्द ठाकुर नैना देवी	407 दिनाँक 28.8.12	गोभी 70 कि0	40	2800
2	मै0 ज्ञान चन्द	408 दिनाँक 20.9.12	मटर 120 कि0	90	10800

ठाकुर नैना देवी	गोभी 70 कि0	50	3500
मै0 ज्ञान चन्द ठाकुर नैना देवी			
	कुल राशि		**₹17100**

अंकेक्षण के दौरान चर्चा में बताया गया कि सब्जियां आसानी से गलसड़ जाने वाली होने के कारण (Perishable) तथा हर रोज सब्जियों की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण तुलनात्मक दरों से सम्बन्धित निविदायें सम्भव नहीं है। श्री नैना देवी मन्दिर न्यास में सब्जी मण्डी पास में न होने के कारण सब्जियाँ परचून विक्रेताओं से खरीदी जाती है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि सब्जियों की खरीद से सम्बन्धित भुगतान की जाने वाली दरों को पारदर्शी लाने हेतु खरीदी गई सब्जियों के बिलों में स्थानीय क्रय कमेटी (Spot purchase committee) से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए कि परचून विक्रेताओं से खरीदी गई ताजी सब्जियाँ न्यूनतम दरो पर खरीदी गई है। इस सन्दर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

26	**कार्य का नामः–**	**न्यू बस स्टैंड से सिंह द्वार 2 तक रेन शैल्टर का निर्माण कार्य करना**
	अनुबन्ध संख्याः–	बीएलएस–टीटीएनडी–3605–3614 दिनाँक 4.11.08
	अनुबन्ध राशिः–	5001340
	संविदाकार का नामः–	श्री अजमेर सिंह
	अनुमानित राशिः–	₹2496779

उपरोक्त कार्य संविदाकार को हिमाचल प्रदेश मानक दर अनुसूची 1999 से 101.31 प्रतिशत उपर पर आंबटित किया गया था उपरोक्त कार्य के पाँचवे छठे एवं सातवें चलत बिल की विस्तृत जाँच करने पर पाई गई अनियमितताओं एवं अधिक भुगतान के मामलों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) उक्त कार्य का आंबटन संविदाकार को दिनाँक 4.11.08 को किया गया था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 11 माह थी। इस प्रकार कार्य पूर्ण करने की अवधि माह सितम्बर 2009 में समाप्त हो गई थी परन्तु उपरोक्त कार्य अनुबन्ध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि अर्थात माह सितम्बर 2009 से लगभग 43 माह के पश्चात अर्थात दिनाँक 30.4.2013 को समाप्त किया गया था। मन्दिर न्यास द्वारा समय–2 उपरोक्त कार्य की कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनाँक 30.4.2013 तक इस आधार पर बढ़ाई गई थी कि मन्दिर न्यास में मेलों के दौरान निर्माण कार्य में बाधा आई परन्तु संविदाकार द्वारा 11 माह के स्थान पर कार्य पूर्ण करने के लिए लगभग 54 माह का समय लिया गया जबकि संविदाकार द्वारा समय पर कार्य न

करने पर अनुबन्ध की क्लाज 2 व 3 के अन्तर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अतः संविदाकार द्वारा समय पर कार्य न करने पर भी उनके विरूद्व अनुबन्ध के क्लास के अन्तर्गत कार्रवाई न करने बारे तथा अत्याधिक कार्य अवधि बढ़ौतरी करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए

(ख) पाँचवे चलत बिल की मद संख्या 3 (सी) द्वारा वर्णित कार्य फार्म वर्क इन वर्टीकल सरफेस इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 303.71 वर्ग मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 82 के पृष्ठ 97 पर ₹100 प्रति वर्ग मी0 की दर से किया गया था। उपरोक्त कार्य की मात्रा में पाँचवे बिल के दौरान किये गये कार्य की मात्रा 10.32 वर्ग मी0 की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 82 के पृष्ठ 89 पर की गई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से था।

कालम आर 72 से आर 76 तक 1x2x8.60x0.60=10.32 वर्ग मी0

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य डेमेालेशन बिलों ग्रांउड लेबल से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 82 के पृष्ठ 89 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

कालम आर 72 से आर 76 तक 8.60x0.30x0.60=1.548 घन मी0

इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य में सी0सी0 1:2:4 से सम्बन्धित किये गये कार्य की गणना मापन पुस्तिका संख्या 82 के पृष्ठ 89 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

कालम आर 72 से आर 76 1x8.60x0.30x0.60=1.548 घन मी0

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार डेमोलेशन बिलों गांऊड लेबल से सम्बन्धित कार्य की जितनी लम्बाई चौड़ाई व गहराई में किया गया था उतनी ही लम्बाई, चौडाई व गहराई में सी0सी0 1:2:4 से सम्बन्धित कार्य किया गया था। अतः फार्म बुक का अधिक कार्य कहाँ किया गया, उसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक फोर्म वर्क के किये गये कार्य की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

(ग) पाँचवे चलत बिल की मद संख्या 6 में वर्णित कार्य स्टील वर्क इन बैलडिड बिल्ट अप सैकशन इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 23590.71 किलो ग्राम का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 82 के पृष्ठ 97 पर ₹60 प्रति किलो ग्राम की दर से किया गया था। इस कार्य मात्रा में शामिल 11431.48 कि0ग्रा0 कार्य की मात्रा की गणना पाँचवे चलत बिल के कार्य की मात्रा की गणना करते समय मापन पुस्तिका संख्या 82 के पृष्ठ 87 पर कलीट 50X5 एमएम फ्लैट इत्यादि की गणना 12x2x0.20=4.80 मीटर x1.96=23.80 कि0ग्रा0 की गई थी, जबकि यह गणना 12x2x0.20=4.80 मी0 x1.96=9.40 कि0ग्रा0 की जानी थी। अतः गणना में गलती के कारण संविदाकार को 14.40 कि0ग्रा0 (23.80कि0ग्रा0–9.40कि0ग्रा0) कार्य मात्रा के

लिए ₹60 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ₹864 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी सँस्था स्त्तर पर जाँच करके अपेक्षित वसूली सुनिश्चित करनी की जाए।

(घ) सातवें व अन्तिम बिल की मद संस्था 6 द्वारा वर्णित कार्य स्टील वर्क इन बैल्डिड बिल्ट उप सैकशन इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 34390कि0ग्रा0 का भुगतान ₹60 प्रति कि0ग्रा0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 8006 पृष्ठ के 88 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 2292 कि0ग्रा0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

मापन पुस्तिका संख्या	पृष्ठ	कार्य मात्रा कि0ग्रा0
8006	82	157
8006	80	2135
	योग	**2292**

मापन पुस्तिका संख्या 8006 के पृष्ठ 80 पर की गई गणना में सैड नं0 27 से बस स्टैण्ड तक के कार्य की गणना मापन पुस्तिका 8006 के पृष्ठ 77 से 80 पर की गई थी जिससे यह कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया था कि किस आरडी से अन्तर्गत कहाँ तक गणना की गई थी जिससे गणना में ली गई मात्रा की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः गणना करते समय आर0डी0 न दर्शाये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस सन्दर्भ में अब वाँछित कार्रवई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) उपरोक्त कार्य करने के लिए निदेशक भाषा एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या भासानि–1/2008–मन्दिर–4117 दिनाँक 12 मार्च 2008 द्वारा ₹4954603/– की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित कार्य की नस्ति के नोट–14 पर दिनाँक 29.4.2008 को ₹4954603/– की प्रदान की गई थी। उपरोक्त कार्य के सातवें एवं अन्तिम बिल में मापन पुस्तिका संख्या 8006 के पृष्ठ 92 पर ₹4991675 के भुगतान के लिए पारित किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹4954603/– की प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति के विरूद्ध ₹4991675/– का व्यय किया गया था तथा (₹4991675–₹4954603) ₹37072/– का व्यय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि से अधिक किया गया था। अतः प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के विरूद्ध अधिक व्यय करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त कार्य की ₹4991675/– की संशोधित कार्योत्तर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 कार्य का नामः— कार्यकारी दण्डाधिकारी पुलिस अधिकारी चिकित्सा अधिकारी के लिए कैम्प हाऊस भवन के शेष निर्माण का कार्य करना

अनुबन्ध संख्याः— बीएलएस—टीटीएनडी—16 / 32—(10) / 108—खण्ड—2—6104—6116

दिनाँक 30.12.12

संविदाकार का नामः— श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर

अनुबन्ध राशिः— 4206328

उपरोक्त कार्य के दूसरे चलत बिल की मद संख्या 3 के वर्णित कार्य फोर्म वर्क इन फ्लैट सरफेस से सम्बन्धित किये कार्य की कुल मात्रा 445.95 वर्ग मी0 का भुगतान ₹200 प्रति वर्ग की दर से एम0बी0 8023 के पृष्ठ 1 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा में सम्मिलित 402.31 वर्ग मी0 कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों का विवरण निम्न प्रकार से थाः—

मापन पुस्तिका संख्या	**पृष्ठ**	**कार्य मात्रा**
80	97	192.82 वर्ग मी0
80	95	209.49 कि0मी0
		402.31 वर्ग मी0

उपरोक्त मापन पुस्तिका 80 के पृष्ठ 97 पर वर्णित 192.82 वर्ग मीटर कार्य की मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में कालमों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी से अधिक दर्शाकर कार्य मात्रा की गणना की गई थी।

दर्शाई गई कार्य मात्रा

आऊटर साईड बीम	ए1 बी1 से ए1	6x2x4.40x0.375	19.80 वर्ग मी0
		2x1x4.40x0.375	3.30 वर्ग मी0
इनर साईड	ए1 से ए2 बी1 से बी2	2x2x2.65x0.375	3.975 वर्ग मी0
			योग :— 27.075 वर्ग मी0

वास्तविक कार्य मात्रा

ए1 बी1 से ए7 से बी7	6x2x4.10x0.375	18.45 वर्ग मी0
	2x1x4.10x0.375	3.07 वर्ग मी0
ए1 से ए2 बी1 से बी2	2x2x2.60x0.375	3.90 वर्ग मी0
		25.42 वर्ग मी0

उपरोक्त विवरणानुसार संविदाकार को 1.65 वर्ग मी0 (27.075 वर्ग मी0(—) 25.42 वर्ग मी0) कार्य की मात्रा के लिए ₹200 प्रति वर्ग मी0 की दर से ₹330 / — का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी न्यास स्त्तर पर जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा तदानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

28 एस0एम0बी0 (Standred Meascrement Book) का निर्माण न करनाः–

मन्दिर न्यास के विभिन्न भवनों की रिपेयर मैन्टेनेस से सम्बन्धित कार्य समय–समय पर किया जाता है जिसे करने के लिए बार–बार ड्राईंग व अनुमान तैयार करने का कार्य तथा मापन करने का कार्य करना पड़ता है। मन्दिर न्यास में यदि भवनों से सम्बन्धित एस0एम0बी0 (Standred Measurement Book) का निर्माण किया जाता है तो बार–बार रिपेयर मैन्टेनेंस से सम्बन्धित कार्य करने के लिए ड्राईंग अनुमान तैयार करने व मापन करने के लिए समय व्यर्थ नहीं गवाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष मण्डल एवं उप मण्डलाधिकारी बिलासपुर द्वारा पत्र संख्या बीएलएस–टीटीएनडी–48/15 (5) 2013–3175 से 3183 दिनाँक 21.6.2013 द्वारा मन्दिर अधिकारी श्री नयना देवी मन्दिर ट्रस्ट को निर्देश दिये गये थे कि मन्दिर न्यास भवनों से सम्बन्धित एस0एम0बी (Standred Measurment Book) तैयार की जाए जिसे मन्दिर न्यास के दोनों कनिष्ठ अभियन्ताओं के पास उपयोग हेतु रखा जाये तथा जिसे ट्रस्ट अभियन्ता (सहायक अभियन्ता हि0प्र0लो0नि0वि0) से 100 प्रतिशत टैस्ट चैक करवाया जाये ताकि मन्दिर न्यास की भवनों की मुरम्मत से सम्बन्धित कार्य करवाने के लिए बार–बार ड्राईंग व अनुमान तैयार करने तथा मापन करने पर समय व्यर्थ न हो।

29 मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई से सीमेन्ट की खरीद न करने से न्यास द्वारा निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किए गए सीमेन्ट हेतु ₹5.51 लाख का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण अवधि 1/2012 से 12/2013 के दौरान मन्दिर न्यास के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास के निर्माण कार्यों में सीमेन्ट का उपयोग संविदाकारों द्वारा अपने स्त्तर पर मार्केट रेट के आधार पर ही किया गया। न्यास द्वारा वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 के विभिन्न कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई के माध्यम से सीमेन्ट की पूर्ति न करने के कारण न्यास को ₹551650/– का अतिरिक्त भुगतान संविदाकारों को करना पडो है जिससे निर्माण कार्यों की अनावश्यक कार्य लागत बढ़ाई गई है। अतः न्यास द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई से सीमेन्ट की खरीद न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण न्यास के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(वर्ष 2012)

क्र0सं0	वा0सं0	दिनाँक	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	सीमेन्ट बैग की खपत
1	103	7.2.12	लंगर से सराये नं0 3 तक सीवरेज कार्य व रास्ता	श्री कृष्णा नन्द	80 बैग

			निर्माण		
2	127	22.2.12	वर्शा शालिका का निर्माण बस स्टैण्ड श्री नयना देवी जी से सिंह द्वार II	श्री अजमेर सिंह	115 बैग
3	136	27.2.12	रैन शैल्टर (वर्षा शालिका) का निर्माण गणपति रोप वे से मन्दिर श्री नयना देवी जी	मैसर्ज कुण्डलॉज बिल्डर्स प्रा0लि0 बददी जिला सोलन	399 बैग
4	170	6.3.12	रास्ता निर्माण प्रतीक्षा घर से श्री करतार सिंह के घर तक वार्ड नं0 5 धवाण्डल चौक श्री नयना देवी जी	श्री संदीप कुमार	40 बैग
5	184	16.3.12	मन्दिर श्री नयना देवी जी के मुख्य द्वार पर प्रतीक्षा घर 2 नं0 का निर्माण	श्री अजय कुमार	550 बैग
6	186	16.3.12	श्री नयना देवी जी मन्दिर के बाहर जाने वाले रास्ते पर लाल पत्थर (मारवल) का कार्य	श्री राजकुमार	850 बैग
7	484	3.7.12	विशेष मुरम्मत कार्य मन्दिर श्री नयना देवी जी	मन्दिर न्यास	10 बैग
8	486	9.7.12	श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नयना देवी में परीक्षा केन्द्र का निर्माण	श्री अनवेष कुमार	131 बैग
9	505	12.7.12	वर्शा शालिका (रैन शैल्टर) प्रवेश रास्ता सिंह द्वार II	श्री जगत राम	848 बैग
10	507	13.7.12	श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय में W.C. Block का निर्माण	श्री कृष्ण नन्द	72 बैग
11	508	13.7.12	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित मातृ शंख भवन का मुरम्मत कार्य	श्री जसवन्त सिंह	12 बैग
12	767	10.10.12	वर्ष शालिका (रैन शैल्टर) का निर्माण बस स्टैण्ड श्री नयना देवी जी से सिंह द्वार II	श्री ओंकार सिंह	120 बैग
13	854	19.11.12	सिंह द्वार II से श्री नयना देवी जी मन्दिर तक के रास्ते में पीने के पानी की व्यवस्था	श्री संजय कुमार	63 बैग

			(टंकी) निर्माण		
14	920	7.12.12	मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के लंगर रसोई घर में मुरम्मत कार्य	श्री रामकेश जगत राम	50 बैग
			कुल बैग खपत वर्ष 2012		3340 बैग
			वर्ष 2012 का औसतन बाजारी मूल्य (प्रति बैग)		₹300
			वर्ष 2012 का हि0प्र0 सिविल सप्लाई का मूल्य (प्रति बैग)		₹215
			अन्तर (प्रति बैग)		₹85
			वर्ष 2012 मे ंप्रति बैग अधिक भुगतान राशि (3340X85)		₹283900

वर्ष 2013

क्र0सं0	वा0सं0	दिनाँक	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	सीमेन्ट बैंक की खपत
1	64	29.1.13	मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के लंगर रसोई घर का निर्माण (मुरम्मत) कार्य	मन्दिर न्यास	20 बैग
2	165	1.3.13	श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व संस्कृत महाविद्यालय में शौचालय का निर्माण	श्री कृष्णानन्द	53 बैग
3	178	8.3.13	बस स्टैण्ड श्री नयना देवी जी से मन्दिर श्री नयना देवी जी तक के प्रवेश रास्ता का मुरम्मत कार्य	श्री केहर सिंह	6 बैग
4	201	20.3.13	वर्षा शालिका (रैन शैल्टर) प्रवेश द्वार से सिंह द्वार II रास्ता मन्दिर श्री नयना देवी जी	श्री जगत राम	95 बैग
5	202	23.3.13	वार्षिक मुरम्मत कार्य मातृ आंचल भवन मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी	श्री जसवन्त सिंह	40 बैग
6	250	3.4.13	रैन शैल्टर (वर्षा शालिका) का निर्माण गणपति रोपवे से मन्दिर श्री नयना देवी जी	मैसर्ज कुण्डालॉज बिल्डर्स प्रा0लि0 बददी जिला सोलन	440 बैग

7	251	12.4.13	लंगर भवन श्री नयना देवी जी का प्रस्तावित विस्तार कार्य	श्री अविनाश शर्मा	84 बैग
8	308	16.4.13	कौला वाला टोबा के फुटपाथ रास्ते का सौन्दर्यकरण कार्य	श्री केहर सिंह	60 बैग
9	318	20.4.13	पुनः रिलाइमैट सीवरेज लाईन मातृ आंचल भवन श्री नयना देवी जी	श्री संदीप कुमार	50 बैग
10	337	27.4.13	सीवरेज लाईन विस्तार कार्य लंगर भवन श्री नयना देवी जी	मन्दिर न्यास	10 बैग
11	377	8.5.13	श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विशेष मुरम्मत कार्य	मन्दिर न्यास	10 बैग
12	517	5.7.13	वर्षा शालिका (रैन शैल्टर) बस स्टैण्ड श्री नयना देवी जी से सिंह द्वार II	श्री अजमेर सिंह	14 बैग
13	529	15.7.13	लंगर भवन कम्पलैक्स का पुनः विस्तार कार्य	श्री अनवेश कुमार	250 बैग
14	632	23.8.13	कैम्प हाऊस भवन श्री नयना देवी जी का शेष निर्माण कार्य	श्री भूपेन्द्र सिंह	385 बैग
15	634	23.8.13	धर्मशाला नं0 3 के पास बैड वार फैन्सी तार का निर्माण कार्य	श्री सुरेश कुमार	90 बैग
16	635	23.8.13	अनारकली रेलिंग व पैरापिट का कार्य गुफा श्री नयना देवी जी	श्री संदीप कुमार	90 बैग
17	636	23.8.13	गैस स्टोर व लंगर भवन का विशेष मुरम्मत कार्य	श्री केहर सिंह	26 बैग
18	699	16.9.13	कौला वाला टोवा से श्री नयना देवी जी तक फुटपाथ रास्ते का निर्माण कार्य	श्री कमल सिंह	218 बैग
19	701	16.9.13	मातृ छाया भवन की विशेष मुरम्मत कार्य श्री नयना देवी जी	श्री जसवन्त सिंह	36 बैग
20	767	10.10.13	कौला वाला टोवा के फुटपाथ रास्ते का विशेष मुरम्मत कार्य	श्री सुभाष चन्द	151 बैग
21	796	21.10.13	बस स्टैण्ड श्री नयना देवी	श्री नरेन्द्र	175 बैग

			जी से मन्दिर तक रास्ता निर्माण कार्य	सिंह	
22	797	21.10.13	आर्युवैदिक चिकित्सा भवन में बहुउद्देशीय हाल का निर्माण कार्य	श्री संदीप कुमार	285 बैग
23	798	21.10.13	कैम्प हाऊस भवन श्री नयना दवी जी का शेष कार्य	श्री भूपेन्द्र सिंह	480 बैग
24	823	25.10.13	लंगर भवन कम्लैक्स के बाथरूम में विशेष फिटिंग कार्य	श्री जसवन्त सिंह	5 बैग
25	843	5.11.13	वरस्ट वॉल व रेलिंग कार्य बस स्टैन्ड श्री नयना देवी जी से सिंह द्वारा नं0 II	श्री प्रदीप कुमार	392 बैग
26	925	2.12.13	लंगर भवन कम्पलैक्स का प्रस्तावित विस्तार कार्य श्री नयना देवी जी	श्री अनिवेश कुमार	240 बैग
27	926	2.12.13	संराये (धर्मशाला) लं0 3 भवन के सामने शौचालयों का विशेष मुरम्मत कार्य	श्री सुरेश कुमार	70 बैग
28	927	2.12.13	लंगर भवन कम्पलैक्स की सीवरेज लाईन का कार्य	श्री कृष्ण नन्द	50 बैग
			कुल बैग वर्ष 2013		3825 बैग
			वर्ष 2013 का औसतन बाजारी मूल्य (प्रति बैग)		₹310
			वर्ष 2013 का हि0प्र0 सिविल सप्लाई का मूल्य (प्रति बैग)		₹240
			अन्तर (प्रति बैग)		₹70
			वर्ष 2013 में प्रति बैग अधिक भुगतान की गई राशि (3825X70)		₹267750
			वर्ष 2012 व वर्ष 2013 में अधिक भुगतान की गई राशि (₹283900+₹267750)		₹551650

30 डिपाजिट कार्य करवाने के लिए विभिन्न विभागों के पास जमा की गई ₹2935005/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी द्वारा विभिन्न विभागो में डिपाजिट कार्य करवाने हेतु जमा राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये है। दिनाँक 31.3.2013 तक निम्नविवरणानुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के विरूद्ध जमा की गई ₹2935005/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे, जिनमें कुछ मामलों में न्यास द्वारा डिपोजिट

कार्य हेतु जमा की राशि 9 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन जमा की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं किए गए है। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	संस्था का नाम	कार्य का विवरण	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि
1	सहायक अभियन्ता आईपीएच स्वारघाट	सिंह द्वार नं0 2 श्री नयना देवी के मुख्या पानी के टैंक का निर्माण कार्य	14.8.12	393350
2	अधिशासी अभियन्ता आईपीएच विभाग बिलासपुर	गवाडल से गुफा तक 4 नं0 हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य करना	24.3.12	877200
3	सहायक अभियन्ता हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद गुगवाल	कौलावाला टोबा से नयना देवी बस स्टैण्ड तक स्ट्रीट लाईट की विशेष मुरम्मत से सम्बन्धित कार्य करना	1.8.13	266290
4	सहायक अभियन्ता हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड बिलासपुर	गुफा के नजदीक 11के0पी0 एच0टी लाईन का ट्रांसफामर एवं 2 नं0 सब स्टेशन को ट्रांसफर करने से सम्बन्धित कार्य	8.6.11	998165
5	अधिशासी अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग मण्डल–2 बिलासपुर	गवाडल से नयना देवी गुफा तक सड़क का निर्माण कार्य करना	17.8.05	400000
		कुल राशि		**2935005**

31 मन्दिर न्यास के बिजली बिलों में वास्तविक खपत से अधिक खपत दर्शाने पर हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को अधिक भुगतान करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के बिजली बिलों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार मन्दिर न्यास द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड के उप मण्डल गंगूवाल को बिजली बिलों में वास्तविक खपत यूनिट से अधिक खपत दर्शाने पर अधिक राशि का भुगतान किया गया। अतः न्यास द्वारा बिजली बिलों में अधिक राशि का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक राशि की वसूली हेतु विद्युत बोर्ड उपमण्डल गंगूवाल के अधिकारियों को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस प्रकार के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

क्र0सं0	दिनाँक	वा0सं0	बिजली मीटर	प्रारम्भिक मीटर	समाप्ति मी0	यूनिट खपत	वास्तव में	बिल में अधिक

			सं0	रीडिंग	रीडिंग		समाप्ति मी0 रीडिंग	खपत यूनिट दर्शाए गये
1	29.5.13	422	NDG-64 NRS	51446	52646	1000	52446	200
2	19.11.13	889	NDS-2 NDMCS	10477	15586	5060	15537	49
							कुल अधिक खपत यूनिट	**249**

32 वाहन संख्या एचपी–24 ए 3577 की मुरम्मत पर किए गए ₹11250/– के व्यय के बारे में:–

बिल वाउचर नं0 116, दिनाँक 22.2.12, ₹11250

विवरण गाड़ी संख्या एच0पी0–24 ए 3577

मन्दिर न्यास द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास कार्यालय के पत्र संख्या BLS-TTND (Van) 10 दिनाँक 29.12.11 के स्वीकृति के अनुसार उपरोक्त वाउचर के तहत मैसर्ज चण्डीगढ़ मोटर वर्कशॉप सर्विस स्टेशन आनन्दपुर साहिब को चैक संख्या 205251 दिनाँक 22.2.2012 द्वारा ₹11250/– का भुगतान पुलिस थाना कोट के वाहन संख्या एच0पी0–24 ए 3577 की रिपेयर हेतु भुगतान किया गया है। उपरोक्त पत्र के अनुसार अध्यक्ष महोदय ने यह राशि सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात भुगतान करने हेतु आदेश दिए थे तथा थाना प्रभारी कोट को गाडी के बदले गये पुराने पुर्जों को मन्दिर न्यास को जमा करवाने व सम्बन्धित कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र मन्दिर अधिकारी श्री नयना देवी जी के पास जमा करवाने बारे आदेश दिये गये। अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त कार्य के पुराने पुर्जों की स्टाकॅ प्रविष्टि व उपयोगिता प्रमाण पत्र दिखाए नहीं गये है। अतः स्टॉक प्रविष्टियां व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

33 मन्दिर न्यास के विभिन्न वाहनों की लॉग बुकों (Log books) में किलोमीटर की गलत प्रविष्टि इन्द्राज करने बारे:–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी की विभिन्न गाड़ियों की लॉग बुकों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वाहनों की लॉग बुक भरते समय किलोमीटर उचित प्रकार से दर्ज नहीं किये गये है जिस कारण वाहनों की माईलेज की गणना की जाँच नहीं की जा सकी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों से रसीद संख्या 1009 दिनाँक 9.12.2014 के अन्तर्गत ₹568/– व रसीद संख्या 1013 दिनाँक 9.12.2014 के अन्तर्गत ₹670/– की वसूली कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई है। अतः सुझाव दिया जाता है भविष्य में वाहनों की लॉग बुक में किलोंमीटर का इन्द्राज तथा

योग सही ढ़ंग से दर्ज किये जाये तथा आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

गाड़ी संख्या एच0पी0–24 सी–0127

क्र0सं0	दिनाँक	लॉग बुक पेज नं0	प्रारम्भिक मीटर रीडिंग	तय कि0मी0	समाप्ति मीटर रीडिंग	लॉग बुक में दर्शाए गये समाप्ति मीटर रीडिंग	लॉग बुक में गलत दर्शाए कि0मी0
1	23.1.12	18	9153	98 कि0मी0	9251	9258	7कि0मी0
2	23.1.13	39	23053	175 कि0मी0	23228	23238	10कि0मी0
3	16.2.13	41	24849	55 कि0मी0	24904	24994	90कि0मी0
				गाड़ी की औसत तेल खपत माह 2/13=9 प्रति ली0			107कि0मी0
				107/9=12 लीटर रेट 2/13 47.34X12=568			
						रसीद संख्या	1009
						दिनाँक	9.12.14

(2) गाड़ी संख्या एच0पी0–24 सी–0112

1	11.4.13	48	37314	6 कि0मी0	37320	37380	60 कि0मी0
							60 कि0मी0

गाड़ी की औसत तेल खपत माह 4/13=4.30 प्रति लीटर

60/4.30=14 लीटर

रेट 4/13=47.83 — राशि 670

राशि ₹47.83X14=670 — रसीद सं0 1013

दिनाँक 9.12.14

34 औसत तेल की खपत का निर्धारण न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसत तेल की खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी टैस्ट चैक (जो भी पहले हो) तक बनाये रखना अपेक्षित होता है। अतः वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो अधिक तेल की खपत की गणना न्यास स्तर पर करके अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रो से की जाये।

35 वाहन संख्या एच0पी0–24 सी 0127 के डीजल की विवरणिका में अन्तर के बारे में:–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के वाहन संख्यर एचपी–24 सी–0127 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 20.9.2013 को पेज संख्या 50 पर कुल डीजल/तेल का अन्तशेष 55 लीटर बकाया दर्शाया गया। दिनाँक 20.9.13 को वाहन में 41 लीटर व दिनाँक 23.9.13 को 15 लीटर तेल भरवाया गया। अतः दिनाँक 28.9.13 तक वाहन में कुल डीजल तेल (55+41+15=111 लीटर) बनता है, परन्तु सम्बन्धित वाहन की लॉग बुक के माह 9/13 के मासिक तेल खपत विवरणिका के पेज नं0 51 में कुल डीजल तेल 93 लीटर दर्शाया गया है। इस प्रकार (111–93=18 लीटर) डीजल तेल लॉग बुक में कम दर्ज दर्शाया गया है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सम्बन्धित कर्मचारी से रसीद संख्या 1010 दिनाँक 9.12.2014 द्वारा ₹923/– (18X51.27=923) कर ली गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

36 श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नयना देवी जी से सम्बन्धित अनियमितताऐं:–

(क) श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नैना देवी जी मन्दिर न्यास में कार्यरत्त श्रीमति प्रेम लता पुस्तकालय लिपिक को अनुचित/गलत वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने पर अधिक भुगतान बारे:–

प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)–बी (7)–64/2010–लूज दिनाँक 24.9.2012 में विनिर्दिष्टित नियम 5 (1) व 7 में दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत यदि किसी कर्मचारी का वेतन संशोधित पे बैंन्ड में न्यूनतम (Minimum) पर निर्धारित किया जाता है तो उसकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 12 माह का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात प्रदान की जानी अपेक्षित होती है। न्यास द्वारा श्रीमति प्रेमलता पुस्तकालय लिपिक को संशोधित पे बैन्ड व ग्रेड पे ₹10300+₹3200 माह 1.10.12 में प्रदान की गई थी तथा उक्त कर्मचारी का वेतन न्यूनतम (Minimum) वेतनमान पर निर्धारित होने के पश्चात भी उनको वार्षिक वेतनवृद्धि 1.10.13 के स्थान पर 1.10.12 को निम्न विवरणानुसार प्रदान की गई थी।

Existing pay and +Grad Pay	**Revised pay band+grade pay granted from 1.10.12 placing the official on minimum of pay band**	**Increment to be granted as per rule of i.e. after 12 months**	**Incremen t granted**	**Due pay**	**Drawn pay**
9880+360= 10240+1950 =12190	10300+3200=13500	1.10.13	1.10.12	13500	10300+410 =10710+32 00=13910

इस प्रकार उनको माह 30.9.14 तक निम्न विवरणानुसार ₹18834/– का अधिक भुगतान किया गया है। अतः इस प्रकरण में न्यास स्तर पर जाँच करके अपेक्षित राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

	Due		Drawn		
Dt. 1.10.12	BP+GP+Incr.+DA=Total 10300+3200+_+9720= 23220	BP+GP+Incr.+DA=Total 10300+3200+410+10015=23925	Diff. 705	Months 1.10.12 to 31.12.12 =3 Months	Excess Amount 2115
	Due	Drawn	Difference		
1.1.13	10300+3200+_+10800 =24300	10710+3200+_+ 11128=25038	738	1.1.13 to 30.6.13= 6 months	4428
1.7.13	10300+3200+_+12150 =25650	10710+3200+_+ 12519=26429	779	1.1.13 to 30.9.13= 3 months	2337
1.10.13	10300+3200+410+12519=26429	10710+3200+420+12897=27727	798	1.10.13 to 31.12.13 =3 months	2394
1.1.14	10710+3200+_+13910 =27820	11130+3200+_+ 14330=28660	840	1.1.14 to 30.9.14	7560
			Total		**₹18834**

(ख) श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नैना देवी में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग का प्रदान किये गये यू0जी0सी0 वेतनमानों से सम्बन्धित अन्य विसंगतियों के बारेः–

उपायुक्त एवम् आयुक्त मन्दिर न्यास श्री नैना देवी के कार्यालय आदेश संख्या टी0टीएनजी/पे–2 (11)/96–245–248 दिनाँक 17.1.2000 के अन्तर्गत शिक्षक तथा गैर शिक्षक वर्ग, श्री शक्ति संस्कृत कालेज व वरिष्ठ माध्यमिक को राज्य सरकार एवं विभिन्न अन्य न्यासों के संस्कृत महाविद्यालयों के समकक्ष उनकी सम्बन्धित श्रेणियों Correspanding के कर्मचारियों के बराबर वेतनमानों को अवधि 01.01.2000 से संशोधित करने की अनुमति प्रदान की गई। मन्दिर न्यास श्री नैना देवी कार्यालय द्वारा संस्कृत कालेज में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग में

प्राचार्य व लेक्चर जिनको उस दौरान राज्य सरकार के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कार्यरत्त प्रधानाचार्य (Principal) व लेक्चर के बराबर वेतनमान दिये जा रहे थे, को उक्त आदेशों के अनुरूप राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में कार्यरत्त शिक्षक वर्ग के अनुरूप यू0जी0सी0 फिटमैन्ट टेबल में वेतनमान का निर्धारण करके बकाया राशि का भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "G"** में दिया गया है। उपरोक्त फिटमैन्ट टेबल मे प्रदान किये गये यू0जी0सी0 स्केल को आयुक्त/अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा भी भुगतान हेतु अनुमोदित नहीं करवाया गया था और न ही इन श्रेणियों को यू0जी0सी0 स्केल प्रदान करने से सम्बन्धित न्यास द्वारा पारित प्रस्ताव की मूल प्रतिलिपि अंकेक्षण की प्रस्तुत की गई। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर भी आन्तरिक जाँच करके वाँछित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख सहित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ग) ₹4332/– का अनियमित व्ययः–

मिश्रित निधि से किया गया निम्न व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः अनियमित रूप से किये गये इस व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये अन्यथा अधिक किये गये व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनाँक	व्यय का विवरण	राशि
1	36	20.9.12	कोर्ट केस के सम्बन्ध में फोटोस्टेट का भुगतान	960
2	38	20.9.12	यात्रा भत्ता दावे श्री अश्वनी कुमार वरिष्ठ सहायक माह मई 2012 से अगस्त 2012 का भुगतान	2884
3	39	20.9.12	यात्रा भत्ता दावा श्री अश्वनी कुमार व0 सहायक माह 11/2012	488
			कुल राशि	**4332**

(घ) ₹1920/– कम जमा करवाया :–

वर्ष 2012–13 के दौरान प्रोस्पैक्टस स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 12 के अनुसार 300 नं0 प्रोस्पैक्टस क्रय किये गये थे। यह प्रोस्पैक्टस ₹48.50 प्रति प्रोस्पैक्टस की दर से ₹14550/– में क्रय किये गये थे। यह प्रोस्पैक्टस पूर्ण रूप से उपयोग किये गये दर्शाये गये थे परन्तु रोकड़ बही में निम्नविवरणानुसार केवल 268 प्रोस्पैक्टस की बिक्री से सम्बन्धित राशि जमा की गई थी जबकि उपयोग किये गये 300 प्रोस्पैक्टस की ₹60 प्रति प्रोस्पैक्टस की दर से ₹18000/– जमा किये जाने वाँछित थे।

वर्ष	प्रोस्पैक्टस मात्रा नं0	दर	राशि
2012—13	151	60	9060
2013—14	117	60	7020
कुल योग	**268**		**16080**

अतः कम जमा की गई (₹18000—₹16080) ₹1920 की उचित माध्यम से वसूली करके अपेक्षित राशि निधि में जमा की जाए।

(ङ) उचित वित्तीय प्रबन्धन न किये जाने के कारण ब्याज की हानिः—

श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नयना देवी जी की विभिन्न निधियों में दिनाँक 1.1.2012 को ₹1963662/— दिनाँक 1.1.13 को ₹2159765/— व दिनाँक 31.12.13 को ₹2178457/— की गई थी। यह राशियाँ सम्बन्धित निधियों के बचत खातों में जमा थी। यदि इन राशियों को सावधि जमा खातों में निवेश किया गया होता तो लगभग 5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से प्राप्ति हो सकती थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में आन्तरिक जाँच करके संस्कृत महाविद्यालय में पड़ी अनुपयुक्त राशियों जिनकी निकट भविष्य में उपयोग की सम्भावना नहीं है को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) सावधि जमा में निवेशित राशिः—

संस्कृत महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा योजना के अन्तर्गत पूर्व में निवेश की गई राशि को पुनः दिनाँक 14.12.12 को भारतीय स्टेट बैंक की श्री नयना देवी में ₹206423 को सावधि जमा खाता संख्या 11530555345 में तीन वर्षों की अवधि के लिए निवेशित किया गया था। इस राशि पर 8.5 प्रतिशत की दर से इसकी परिपक्वता तिथि 14.12.2015 पर ₹59247/— ब्याज प्राप्त होना है तथा उपरोक्त सावधि जमा की परिपक्वता पर ₹265670 होनी थी परन्तु दिनाँक 14.12.2012 को सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज की रोकड़ बही में जमा की प्रविष्टि नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त सावधि जमा पर निवेश की तिथि से 14.12.2012 तक प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड़ बही में दर्ज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

(छ) रोकड़ बही का रख रखाव उचित प्रकार से न करनाः—

छात्र निधियो से सम्बन्धित रोकड़ बही का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया था। रोकड़ बही में विभिन्न निधियो से किये गये व्यय का विवरण नहीं दिया गया अर्थात भुगतान किसे किया गया, किस उपलक्ष में भुगतान किया गया किस बिल के विरूद्ध भुगतान

किया गया व किस चैक द्वारा भुगतान किया गया इत्यादि नहीं का वितरण रोकड़ बही में नहीं दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही का निर्माण तिमाही बार किया गया था। अतः भविष्य में रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार किया जाए तथा रोकड़ बही में भुगतान के सम्बन्धित में विस्तृत विवरण भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा संचालित श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला से सम्बन्धित अनियमितताऐंः—

(क) श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला द्वारा निधियो ंकी प्राप्त राशियो ंसे निम्न विवरणानुसार राशियाँ सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई थी। इन राशियों को मन्दिर न्यास के लेखों में नहीं दिखाया जा रहा था। अतः निम्नविवरणानुसार सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को भुनाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा सावधि जमा में निवेशित राशियो ंको मन्दिर न्यास के लेखों में दर्शाया जानी भी सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	निधि का नाम	सावधि जमा खाता सं0	निवेशित राशि	निवेंश की तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर
1	यूनियन निधि	482548	282889	8.8.11	8.8.14	366766	8.75%
2	भवन निधि	482549	534346	8.8.11	8.8.14	692781	8.75%
3	विज्ञान निधि	482550	78580	8.8.11	8.8.14	101879	8.75%
4	स्पोर्टस निधि	482551	47147	8.8.11	8.8.14	61126	8.75%

(ख) पाठशाला द्वारा भवन निधि से प्राप्त राशियों को समय समय पर मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाता है क्योंकि पाठशाला के भवन निर्माण/मुरम्मत इत्यादि से सम्बन्धित व्यय को मन्दिर न्यास द्वारा किया जाता है। अतः भवन निधि से सम्बन्धित पूर्व अवधि की सावधि जमा में निवेशित ₹534346/— को भी मन्दिर न्यास निधि में जमा किया जाए।

(ग) श्री शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में रोकड़ बही का निर्माण तिमाही वार किया जा रहा था। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा रोकड़ बही में भुगतान के सन्दर्भ में विस्तृत विवरण अर्थात भुगतान किसे भुगतान किया गया किस उपलक्ष में भुगतान किया गया किस बिल के विरूद्ध भुगतान किया गया तथा किस चैक द्वारा भुगतान किया गया इत्यादि का विवरण भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

38 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित बिल लाभ हानि की दुकान नं0 1 के वर्ष 2012 के स्टॉक रजिस्टर के पेज नं0. 95 पर दिनाँक 22.4.12 को सामग्री मखाना इलायची दाना 400 नग की दुकान से खपत के रूप में घटाई दर्शाई गई जबकि दिनाँक 22.4.12 को दुकान की आय से सम्बन्धित रजिस्टर के पेज नं0 39 में उपरोक्त सामग्री की आय दर्ज नहीं दर्शाई गई। अतः इस सामग्री की आय की (400X5=₹2000) की वसूली उचित स्त्रोत से तुरन्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के वर्ष 2012 के माह 9/2012 के स्टॉक रजिस्टर के पेज नं0 48 पर दिनाँक 19.9.2012 को सामग्री बेसन 58 कि0ग्रा0 दुकान खपत के रूप में घटाई दर्शाई गई है जबकि दिनाँक 19.9.2012 को दुकान की आय से सम्बन्धित रजिस्टर के पेज नं0 87 में उपरोक्त सामग्री की केवल 50 कि0ग्रा0 की (50x140=7000) की आय दर्शाई गई। इस प्रकार शेश बेसन (58–50=8कि0ग्रा0) की आय दर्शाई नहीं गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर शेश बेसन की आय से सम्बन्धित (8x140=₹1120) की चूककर्ता से वसूली करके यह राशि दुकान के बैंक खाता संख्या 11530527588 दिनाँक 10.12.14 को जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके भविष्य में इस तरह के प्ररकणों पर रोक लगाई जा सके।

(ग) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के वर्ष 2012 के माह 3/2012 में दिनाँक 12.3.12 की स्टॉक रजिस्टर पेज नं0 107 पर 400 नग सामग्री चुन्नी ₹2/– की खपत घटाई दर्शाई गई जबकि दुकान के आय सम्बन्धी दैनिक रजिस्टर में दिनाँक 12.3.12 को 300 नग की आय दर्ज दर्शाई गई है। इस प्रकार 400–300=100 नग चुन्नीकी आय 100X2=200 जमा नहीं की गई। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹200/– की वसूली चूककर्ता से करके दुकान के खाता संख्या 11530527588 दिनाँक 10.12.2014 में जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

(घ) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के वर्ष 2012 के माह 9/2012 में दिनाँक 17.9.2012 को सामग्री चुन्नी ₹251 का 2 नग खपत घटाई गई दर्शाई गई जबकि दुकान के आय सम्बन्धी रजिस्टर पेज नं0 89 दिनाँक 17.9.12 को चुन्नी 1 नग की आय दर्ज दर्शाई गई है। इस प्रकार 2–1=1 नग चुन्नी की 1X251=₹251 की आय दर्ज नहीं की गई है। अंकेक्षण द्वारा

आपत्ति उठाने पर ₹251/– की वसूली चूककर्ता से करके दुकान के खाता संख्या 11530527588 दिनाँक 10.12.14 को जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके भविष्य में इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

(ङ) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के वर्ष 2013 के माह 7/2013 में दिनाँक 17.7.2013 को सामग्री (चुन्नी ₹90 प्रति 5 नग) की स्टॉक रजिस्टर पेज नं0 137 पर दुकान में बिक्री हेतु खपत घटाई दर्शाई गई जबकि दुकान के दैनिक आय रजिस्टर पेज नं0 191 दिनाँक 17.7.13 को उपरोक्त सामग्री की आय (90X5=450) की आय जमा नहीं की गई है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर ₹450 की वसूली चूककर्ता से करके दुकान के खाता संख्या 11530527588 दिनाँक 10.12.2014 में जमा करवा दी गई है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करके इस तरह के प्रकरणों पर रोक लगाई जा सके।

39 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि न्यास के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है जबकि नियमानुसार स्टॉक मे ंपड़े सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी अपेक्षित है। अतः नियमों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापना की जानी सुनिश्चित किया जाए।

40 लघु आपति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई।

41 सारांशः– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)186/96 खण्ड–10–2293–97 दिनांक,13.05.2015 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री नयना देवी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित

कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. उपायुक्त बिलासपुर एवं आयुक्त मन्दिर न्यास जिला बिलासपुर, हि0प्र0

3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला–9

4 अवर सचिव (भाषा विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

5 श्री तारा चन्द महन्त, सहायक नियन्त्रक द्वारा............................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A" **पैरा संख्या 1 (घ) से सन्दर्भित**

(1) लेखा प्रतिवेदन अवधि 17.12.85 से 31.12.95

1	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत	
3	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत	
4	पैरा–29 (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–36 (ढ)	निर्णीत	(₹400 की वसूली रसीद संख्या 795 दिनाँक 4.12.14 द्वारा कर ली गई है)

(2) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/96 से 12/97 व 1/99 से 12/99

1	पैरा–11	अनिर्णीत	
2	पैरा–70	निर्णीत	(₹16000 की कार्योत्तर स्वीकृति अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री नैना देवी जी द्वारा नोट संख्या 9 दिनाँक 1.10.14 के अन्तर्गत प्रदान की गई है)
3	पैरा–130	निर्णीत	(₹26286/–की कार्योत्तर स्वीकृति अध्यक्ष मन्दिर न्यास कार्यालय नोट संख्या 9 दिनाँक 1.10.14 के अन्तर्गत प्रदान की गई है)
4	पैरा–167	निर्णीत	(इस अंकेक्षण में रोकड़ बही की पुष्टि करते हुये सम्बन्धित अभिलेख की जाँच कर ली गई है)
5	पैरा–174 (क) (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–176 (झ)	निर्णीत	(₹233 की वसूली रसीद संख्या 796 दिनाँक 4.12.14 द्वारा कर ली गई है)
7	पैरा–176 (ट)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जाँच कर ली गई है)
8	पैरा–176 (ढ)	निर्णीत	(₹5125 की कार्योत्तर स्वीकृति अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री नैना देवी द्वारा नोट संख्या 9 दिनाँक 1.10.14 के अन्तर्गत प्राप्त कर ली गई है)

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2003

1	पैरा–35 (6)	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/04 से 12/04

1	पैरा– 33	अनिर्णीत	
2	पैरा– 43 (8)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्णीत)
3	पैरा– 43 (10)	निर्णीत	(क्रमाँक 1, 2 व 3 निर्णीत सम्बन्धित बिलों की जाँच कर ली गई है)

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/05 से 12/05

1	पैरा–20	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण किया जा रहा है)
2	पैरा–21	अनिर्णीत	
3	पैरा–22	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जाँच कर ली गई है)
4	पैरा–23	निर्णीत	(₹430868 की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय नोट संख्या 9 दिनाँक 1.10.14 के अन्तर्गत प्रदान कर ली गई है)
5	पैरा–24	अनिर्णीत	
6	पैरा–35 (2)	निर्णीत	(अभिलेख की पुष्टि की गई है)
7	पैरा–35 (3)	निर्णीत	(अभिलेख की पुष्टि की गई है)
8	पैरा–40 (1)	निर्णीत	(₹1084 की वसूली रसीद संख्या 7'94 दिनाँक 4.12.14 द्वारा कर ली गई है)
9	पैरा–43 (2)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
10	पैरा–54 (ख)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
11	पैरा–54 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है)

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/06 से 31.12.07

1	पैरा– 17 (1)	निर्णीत	(हि0प्र0. स्टेट को0ओ0 बैंक बचत खाता संख्या 6188 बिलासपुर को बन्द करके जमा राशि स्थानान्तरित करके हिमाचल प्रदेश स्टेट को0ओ0 बैंक नैना देवी बचत खाता संख्या 100001 दिनाँक 2.9.14 में जमा करवा दी गई है)
2	पैरा– 17 (2)	निर्णीत	(ब्याज की ₹1589 रोकड़ बही पेज संख्या 93 दिनाँक 31.3.06 को जमा दर्शाई गई है)
3	पैरा– 17 (3)(1)	निर्णीत	(आदेशों की अनुपालना की जा रही है)
4	पैरा– 17 (3)(2)	निर्णीत	(कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है बैंक कमीशन की ₹95 को घटाकर ₹5005 की प्राप्ति का इन्द्राज रोकड़ बही पेज 69 पर दर्ज है)
5	पैरा–17 (3) (3)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
6	पैरा–17 (3) (4)	निर्णीत	(रोकड़ बही व्यय वाउचरों व हस्तगत राशि की पुनः जाँच करने पर पैरा निर्णीत किया गया है)
7	पैरा–17 (3) (5)	निर्णीत	(रोकड़ बही में जमा ₹5260/– की स्थल पर जाँच कर ली गई है)
8	पैरा–17 (3) (6)	स्वतःनिर्णीत	
9	पैरा–17 (3) (7)	निर्णीत	(₹3100 दिनाँक 22.3.07 को पी0एन0बी0 बचत खाता में जमा है)
10	पैरा–17 (3) (8)	निर्णीत	(₹3800 पी0एन0बी0 की नैना देवी में दिनाँक 6.13. 2007 को जमा है)
11	पैरा–17 (3) (9)	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)
12	पैरा–17 (3) (10)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
13	पैरा–17 (3) (11)	निर्णीत	(₹40000 की निकासी रोकड़ बही पेज संख्या 88 दिनाँक 24.3.06 को दर्ज है)
14	पैरा–17 (3) (12)	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)
15	पैरा–17 (3) (13)	निर्णीत	(₹159000 के जमा की पुष्टि कर ली गई है)

16	पैरा–17 (3) (14)	निर्णीत	(₹224372 रोकड़ बही पेज संख्या 260 पर दर्ज है)
17	पैरा–17 (3) (15)	निर्णीत	(बैंक में निकासी का इन्द्राज दिनाँक 22.8.06 को दर्ज है)
18	पैरा–17 (3) (16)	निर्णीत	(₹90000 रेजगारी व हस्तगत ₹660000 कुल ₹750000 की भारतीय स्टेट बैंक बिलासपुर में एफ0डी0आर0 बनाई गई है जो रोकड़ बही पेज संख्या 324 दिनाँक 30.9.06 के अन्तर्गत दर्ज है)
19	पैरा–17 (3) (17)	निर्णीत	(₹11742 दिनाँक 20.9.06 ₹25000 दिनाँक 22.9.06 व ₹7500 दिनाँक अर्थात कुल ₹44242 रोकड़ बही पेज संख्या 324 पर दर्ज है व ₹90000 की एफ0डी0आर0 बनवाई गई है)
20	पैरा–17 (3) (18)	निर्णीत	(रोकड़ बही पेज 363 पर दर्ज है)
21	पैरा–17 (3) (19)	निर्णीत	(₹483582 सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि का इन्द्राज रोकड़ वही पेज संख्या 383 पर किया गया है (136933+168434+168434+9781=483582)
22	पैरा– 26	निर्णीत	(₹395 की वसूली करके दिनाँक 11.11.14 को स्टेट बैंक बचत खाता संख्या 11530527497 दिनाँक 11.11.14 में जमा कर दी गई है)
23	पैरा– 29	अनिर्णीत	
24	पैरा– 30	निर्णीत	(अपेक्षित राशि दिनाँक 7.1.08 को सरकार से प्राप्त हो गई है तथा न्यास रोकड़ बही पेज संख्या 5 पर दर्ज है)
25	पैरा– 37	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)
26	पैरा– 40	निर्णीत	(₹18612/– की कार्योत्तर स्वीकृति अध्यक्ष मन्दिर न्यास के कार्यालय नोट संख्या 9 दिनाँक 1.10.14 के अन्तर्गत प्राप्त कर ली गई है)
27	पैरा– 42	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)
28	पैरा– 45 (च)	निर्णीत	(2 क्विंटल आटा की वसूली रसीद संख्या 499 दिनाँक 9.12.14 के अन्तर्गत कर ली गई है)

29	पैरा– 47 (घ)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण दल द्वारा स्थल पर जाँच कर ली गई है)
30	पैरा– 51	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/08 से 31.12.09

1	पैरा– 7	अनिर्णीत	
2	पैरा– 13	निर्णीत	(₹94.97 लाख व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है)
3	पैरा– 14	निर्णीत	(प्रधान सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग (मुख्य आयुक्त मन्दिर) की स्वीकृति के अनुसार एवं अवर सचिव (LAC) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या LCD-F(1)-14/2010 दिनाँक 21.12.12 द्वारा मन्दिर न्यास में अतिरिक्त पदों का सृजन कर दिया गया है)
4	पैरा– 15	अनिर्णीत	
5	पैरा– 16	निर्णीत	(₹49069 की वसूली वाउचर संख्या 686 दिनाँक 1.10.14 ₹31449, वाउचर संख्या 699 दिनाँक 1.10.14 ₹2716 व वाउचर संख्या 767 दिनाँक 3.11.14 ₹14904 कुल (₹31449+2716+14904=₹49069) कर ली गई है)
6	पैरा– 18 (1)(ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा के उपरान्त पैरा निर्णीत)
7	पैरा– 18 (1) (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा– 18 (1) (ङ)	निर्णीत	(अपेक्षित राशि की वसूली माप पुस्तिका संख्या 77 पेज 12 पर समायोजित की गई है)
9	पैरा– 18 (1) (च)	निर्णीत	(₹4091 की वसूली/समायोजन माप पुस्तिका संख्या 70 पेज 90 पर किया गया है)
10	पैरा– 19 (क)व(ख)	निर्णीत	(₹28766 की वसूली (27798+968) ठेकेदार से माप पुस्तिका संख्या 83 पेज संख्या 68 पर उसकी देय धरोहर राशि से कर ली गई है)
11	पैरा–20 (क,ख,ग)	निर्णीत	(₹19629 (15324+367+3938) की वसूली ठेकेदार से

			माप पुस्तिका संख्या 8006 पेज 92 पर कर ली गई है।
12	पैरा– 21	निर्णीत	(₹5761 की वसूली रसीद संख्या 562/2013 दिनाँक 31.10.14 द्वारा कर ली गई है)
13	पैरा– 22	अनिर्णीत	
14	पैरा– 23	निर्णीत	(कार्य की सम्बन्धित जेई के साथ माप पुस्तिका में पुनः गणना करने पर पाया गया कि ₹468/– की वसूली नहीं बनती है)
15	पैरा– 25	निर्णीत	(₹45192 की वसूली अध्यक्ष मन्दिर न्यास के नोट संख्या 5 दिनाँक 12.8.14 द्वारा प्राप्त की गई है)
16	पैरा– 26	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई व अभिलेख दर्शा दिया गया है)
17	पैरा– 31	अनिर्णीत	
18	पैरा– 32	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)
19	पैरा– 33	अनिर्णीत	
20	पैरा– 34	निर्णीत	(अनुपालना की जा रही है)
21	पैरा– 35	अंशतः निर्णीत	

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.10 से 31.12.11

1	पैरा– 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹97100 चैक संख्या 397041 दिनाँक 23.3.13 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जमा करवा दी गई है)
	पैरा– 4 (ख) (i)	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
2	पैरा– 4 (ख) (ii)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच के पश्चात पैरा निर्णीत)
3	पैरा– 5 (क)	अपडेटिड	(Updated)
4	पैरा– 5 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा– 5 (ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
6	पैरा– 6	निर्णीत	(आय एवं व्यय की तुलनात्मक विवरणिका)
7	पैरा– 7 (क)	अपडेटिड	
8	पैरा– 7 (ख)	अपडेटिड	

9	पैरा– 7 (ग)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है)
10	पैरा– 8	निर्णीत	(₹1040 की वसूली रसीद संख्या 514 दिनाँक 16.10.14 के अन्तर्गत कर ली गई है)
11	पैरा– 9	निर्णीत	(सम्बन्धित स्टॉक इन्द्राजों की जाँच इस अंकेक्षण में कर ली गई है)
12	पैरा– 10	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा स्थल पर निर्णीत किया गया है)
13	पैरा– 11	निर्णीत	(अपेक्षित राशि की वसूली चैक संख्या 4711373 दिनाँक 5.12.12 के अन्तर्गत कर ली गई है)
14	पैरा– 12	निर्णीत	(अनुपालना की गई है)
15	पैरा– 13	निर्णीत	(अनुपालना की गई है ₹887341 की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है तथा भविष्य में सीधे तौर पर अग्रिम राशि के भुगतान की प्रथा बन्द कर दी गई है)
16	पैरा– 14	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्णीत)
17	पैरा– 15	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्णीत)
18	पैरा– 16	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख व स्टॉक ईन्द्राज की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में की गई है)
19	पैरा– 17	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है तथा अस्थाई तौर पर रखे गये कर्मचारियों को हटा दिया गया है)
20	पैरा– 18 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
21	पैरा– 18 (ख)	निर्णीत	(कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपायुक्त महोदय बिलासपुर द्वारा गैस वितरण शुल्क की राशि मन्दिर न्यास से वसूल की गई है)
22	पैरा– 19	निर्णीत	(शुद्ध पेयजल के बिक्री की राशि की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है)
23	पैरा– 20	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
24	पैरा– 21	अनिर्णीत	

25	पैरा– 22	निर्णीत	(₹191710 की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी के कार्यालय नोट संख्या 5 दिनाँक 12.8.14 द्वारा प्राप्त कर ली गई है)
26	पैरा– 23	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत व ₹100 की वसूली करके भारतीय स्टेट बैंक नैना देवी में बचत खाता संख्या 11530–527497 में दिनाँक 19.8.14 को जमा है)
27	पैरा– 24	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
28	पैरा– 25	निर्णीत	(निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश से अपेक्षित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनाँक 3.11.14 को प्राप्त कर दिया गया है)
29	पैरा– 26 (क)	निर्णीत	(क्रमाँक 1 अपेडेटिड क्रमाँक 2, 3, 4 व 5 निर्णीत)
30	पैरा– 26 (ख)(1 व 2)	निर्णीत	(क्रमाँक संख्या 26 (ख) (1) व (2) के संविदाकारों से अरनेस्ट मनी जब्त की गई तथा उनकी प्रतिभूति से पैनेलटी की वसूली की गई तथा क्रमाँक (26) ख व 3 से 9 तक अनिर्णीत)
31	पैरा–26 (ग) (i)	अनिर्णीत	
32	पैरा– 26 (ग) (ii)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
33	पैरा– 26 (ग) (iii)	निर्णीत	(सामग्री एम0ए0एस0 रजिस्टर पेज संख्या 8 पर दर्ज है)
34	पैरा–26 (घ) (i)	निर्णीत	(सम्बन्धित मदों की स्वीकृति फाईल संख्या टीटीएनडी वर्कस 2 (4) 2008– के पृष्ठ संख्या 23 पर प्राप्त कर ली है)
35	पैरा– 26 (घ) (ii)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
36	पैरा– 26 (ङ)	निर्णीत	(अतिरिक्त मदों की स्वीकृति सम्बन्धित कार्य की फाईल पेज 71 व 72 पर प्राप्त कर ली गई है)
37	पैरा– 26 (च)	निर्णीत	(अतिरिक्त मदों की दरें सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित फाईल के पेज 30 व 31 पर स्वीकृति प्रदान की गई है)

38	पैरा– 26 (छ)	निर्णीत	(अपेक्षित मदों की कार्योत्तर स्वीकृति टिप्पणी संख्या 100 दिनाँक 25.7.11 के अनुसार ली गई है)
39	पैरा– 26 (ज)	निर्णीत	(अतिरिक्त मदों की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा टिप्पणी संख्या 98 दिनाँक 25.10.10 द्वारा प्राप्त कर ली है)
40	पैरा– 27 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर निर्णीत)
41	पैरा– 27 (ख)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जाँच कर ली है)
42	पैरा– 27 (ग)	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्तकर ली गई है)
43	पैरा– 27 (घ)	अनिर्णीत	
44	पैरा– 27 (ङ)	निर्णीत	(₹80 की वसूली रसीद संख्या 503 दिनाँक 14.10.14 के अन्तर्गत कर ली गई है व दवाईयाँ अब मैडीसन फेयर प्राईस शॉप से खरीदी जा रही है)
45	पैरा– 27 (च)	निर्णीत	(₹67 की वसूली दिनाँक 19.8.14 को करके एसबीआई श्री नयना देवी के बचत खाता संख्या 11530–527497 में जमा की गई है)
46	पैरा– 27 (छ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
47	पैरा– 27 (ज)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में कर ली गई है)
48	पैरा– 28 (क)	निर्णीत	(अधूरी रसीद बुकों के प्रयोग में लाया गया है)
49	पैरा– 28 (ख)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)
50	पैरा– 28 (ग)	निर्णीत	(अपडेटिड)
51	पैरा– 28 (घ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधर पर पैरा निर्णीत)
52	पैरा– 28 (ङ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधर पर पैरा निर्णीत)
53	पैरा– 28 (च)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधर पर पैरा निर्णीत)
54	पैरा– 28 (छ)	अनिर्णीत	